सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

मई, 2012 | वर्ष 11 | अंक 03

नबी का प्रेम

प्रेम है जिस को नबी के पथ से
नबी से उसने प्रेम किया
नबी से जिसने प्रेम किया
वह जन्नत में तो अवश्य गया
नबी का संग वां पायेगा वह
नबी ने है यह साफ़ कहा
रब से नबी पे मांगें रहमत
जिन से हम ने प्रेम किया

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
रुस्वा कौन ?	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	7
पवित्र कुर्आन और मुहम्मद सल्ल0	मौलाना सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी	10
ईश्वरीय शिक्षा एवं भ्रष्टाचार का निदान	मुहम्मद दाऊद	13
दो पाटों के बीच मुस्लिम समाज	मुदस्सिर हुसैन	14
कुर्आन में मूल्यों की शिक्षा एक अध्ययन	डॉ0 इसपाक अली	16
आदर्श शासक	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	19
रहन–सहन में इस्लामी हिदायात	इदारा	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी	26
लड़कियों की परवरिश करने और	मुहम्मद ज़ैद मजाहिरी नदवी	30
भूगोलशास्त्री ज़करिया	मौलाना सिराजुद्दीन नदवी	31
आधुनिक समस्याओं का इस्लामी	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	33
क़ब्र, बरज़ख़ और हश्र	इदारा	38
अज़वाजे मुतह्हरात रज़ि0		39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूरः-ए-बक़रः

अनुवाद : और पीछे हो लिए उस इल्म (ज्ञान) के जो पढ़ते थे शैतान, सुलैमान की बादशाहत के वक्त[1], और कुफ्र नहीं किया सुलैमान ने, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया कि सिखलाते थे लोगों को जादू, और उस इल्म के पीछे जो उतरा दो फरिश्तों पर बाबुल शहर में, जिनका नाम हारूत और मारूत है, और नहीं सिखाते थे वह दोनों फरिश्ते किसी को, जब तक ये न कह देते कि हम तो आजमाइश (परीक्षा) के लिए हैं, तो काफिर मत हो, फिर उनसे सीखते वह जादू, जिससे जुदाई डालते हैं मर्द में और उसकी औरत में, और वह उनसे किसी का नुक़सान नहीं कर सकते बिना अल्लाह के आदेश के, और सीखते हैं वह चीज़ जो नुक़सान करे उनका, और फायदा ना करे, और वह खूब जान चुके हैं कि जिसने अपनाया जादू को तो नहीं है उसके लिए आखिरत (परलोक) में कुछ हिस्सा, और बहुत बुरी चीज़ है, जिसके बदले बेचा उन्होंने अपने आपको, यदि उनको समझ होती[102]। और यदि वह आस्था (ईमान) लाते तो और तक्वा (ईशभय) करते तो बदला पाते अल्लाह के यहां से बेहतर, अगर उनको समझ होती[2(103)]।

तफ्सीर (व्याख्या):

1. अर्थात उन बेवकूफों ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाला और शैतानों से जादू सीखा, और उसकी पैरवी करने लगे।

2. कुल का सार ये है कि यहूद अपने धर्म और ग्रन्थ का ज्ञान छोड़कर जादू के ज्ञान के अधीन हो गए थे, और जादू लोगों में दो तरफ से फैला, एक हज़रत सुलैमान अलैहिस—सलाम के दौर में, चूँकि जिन्नात और इन्सान मिले—जुले रहते थे तो आदमियों ने शैतानों से जादू सीख लिया और उड़ा दिया कि ये जादू हमको हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला और उनको जो जिन्नात और इन्सान पर बादशाहत थी वह जादू के कारण थी, तो अल्लाह ने कहा, "यह काम कुफ्र (नकार) का है सुलैमान का नहीं"। दूसरा फैला हारूत—मारूत की तरफ से, वह दो फरिश्ते थे बाबुल शहर में, आदमी की शक्ल में रहते थे, उनको जादू का गुर मालूम था। जो कोई जादू सीखने का आकांक्षी उनके पास जाता तो अव्वल रोक देते कि इसमें ईमान जाता रहेगा, इस पर भी न रुकता तो उसको सिखा देते। अल्लाह को उनके ज़रिए से बन्दों की आज़माइश मंजूर थी, तो अल्लाह ने कहा कि ऐसे ज्ञान से आखिरत (परलोक) का कुछ नफा नहीं, बल्कि सरासर नुकसान है, और दुनिया में भी नुकसान है। और अल्लाह के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते, और इल्मे दीन (धर्म का ज्ञान) और इल्मे किताब (ईश्वरीय ग्रन्थ का ज्ञान) सीखते तो अल्लाह के यहाँ सवाब (पुण्य) पाते। ❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

सफ़र के साथी की मदद

—अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 से रिवायत है कि हम सफर में थे कि एक आदमी ऊँट पर सवार हुआ आया और दाएं—बाएं देखने लगा (अर्थात उसका ऊँट बहुत थक गया था, इसलिए वो चहुँओर देख रहा था कि शायद कोई सवारी मिल जाए), आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, जिसके पास आवश्यकता से अधिक सवारी हो वह ज़रूरतमन्द को दे दे और जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा यात्रा सामग्री हो वो ज़रूरतमन्द को दे दे। इस प्रकार आपने अलग—अलग चीज़ों का नाम लिया, उस समय हमने समझ लिया कि आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति में हमारा अधिकार नहीं। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक युद्ध में जाने का इरादा किया और कहा ऐ मुहाजिरीन व अन्सार! तुम्हारे भाइयों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न सम्पत्ति है और न समूह है, अब तुम्हारे लिए आवश्यक है कि दो—दो या तीन—तीन को अपनी तरफ शामिल कर लो, और हम लोगों के पास एक—एक ही सवारी थी, बस ये करते थे कि बारी— बारी से सवार होते थे। मैंने भी दो या तीन को अपनी तरफ कर लिया और बारी बाँध दी।

(अबूदाऊद)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफर में खुद पीछे रहते थे और कमज़ोरों को आगे भेज देते थे। (अबूदाऊद)

जिन चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए- हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी यात्रा हेतु जाते तो सफर की सख्ती, राहत के बाद तकलीफ, मज़लूम की बद्दुआ और माल की ओर बुराई से देखने से पनाह मांगते थे। (तिर्मिज़ी—नसाई)

मुसाफिर की दुआ कुबूल होती है-

हज़रत अबूहुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया की तीन लोगों की दुआएं ज़रूर कुबूल होती हैं— 1. मज़लूम की 2. मुसाफिर की 3. बाप की दुआ लड़के के हक़ में। (अबूदाऊद—तिर्मिज़ी)

काम खत्म हो जाने के बाद जल्द घर को वापसी-

हज़रत अबूहुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, सफर अज़ाब का टुकड़ा है, तुम्हारे खाने—पीने और नींद में खलल है। जब तुम्हारे सफर का मक़सद पूरा हो जाए तो घर वापस होने में जल्दी करो। (बुखारी—मुस्लिम)

रात को घर पहुँचने में सावधानी—

हज़रत जाबिर रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, जो आदमी घर से ज़्यादा देर गायब रहे वह रात को घर में न आये।

शेष पृष्ठ.....9 पर

रुस्वा कौन ?

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

कुछ लोग कहते हैं आज मुसलमान सारी दुनिया में ज़लील व रुस्वा हैं, यह जुम्ला तो मुझ जैसे गुनहगार का कलेजा फाड़ देता है, मैं नहीं जानता हमारे बुजुर्ग इससे क्या तअस्सुर लेते हैं। मुसलमान और रुस्वाई यह तो इजतिमा—ए—जिद्दैन है, आग और पानी का एक साथ जमा होना है, बल्कि आग और पानी तो किसी शक्ल में जमा भी हो सकते हैं मगर मुसलमान और रुस्वाई, मुसलमान और बेइज़्ज़ती जमा नहीं हो सकते। गौर कीजिए! मआ़जल्लाह हज़रत बिलाल रुस्वा थे या उनको तपतपाती रेत पर घसीटने वाला रुस्वा था? हज़रते ख़ब्बाब बा इज़्जत थे या उनको मआज़ल्लाह दहकते कोयले पर जबरन लिटा देने वाला? हज़रते ज़ैद बिन दस्ना बा इज़्जत थे या उनको तड़पा—तड़पा कर कत्ल करने वाला?

अल इज़्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल्मुअ्मिनीन (इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए) पस जिस में ईमान है वह जिस हाल में भी रहे बाइज़्जत है, जो ईमान के साथ, ईमान के तकाजों को पूरा करता है, फराइज़ व वाजिबात की अदाएगी करता है, ज़िन्दगी के तमाम कमों में अल्लाह के रसूल की बताई गई हुदूद का लिहाज करता है, वह बाइज़्ज़त है, वह रुस्वा नहीं है, चाहे वह मजदूरी करके हलाल रोजी हासिल करता हो, चाहे खेती करके, चाहे तिजारत करके, चाहे नौकरी करके, चाहे वह अपनी हलाल कमाई से सिर्फ एक जोड़े कपड़ों का मालिक हो, चाहे वह हलाल कमाई से सिर्फ एक वक्त खाता हो, चाहे वह कच्चे घर या छप्पर में रहता हो वह रुस्वा नहीं, वह बाइज़्ज़त है, उसको रुस्वा कहने वाला खुद अपनी ख़ैर मनाए, उसको रुस्वा समझने वाला आखिरत की रुस्वाई से अल्लाह की पनाह मांगे, अगर अल्लाह ने ईमान व इस्लाम के साथ हज़रत सुलैमान जैसी बादशाहत दे दी हो तो यह उसका इनआ़म है, ऐसे कितने हुक्मरां गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने ईमान व इस्लाम भी दिया और मुल्क व दौलत भी। हज़रात खुलफाए राशिदीन इसकी आला मिसाल हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज जैसे हुक्मरां इसकी अच्छी मिसाल हैं, गरज़ कि ग़रीबी हो या अमीरी, ईमान व इस्लाम के साथ है तो हक़ीकी इज़्जत भी हासिल है।

एक शख्स करोड़ों की तिजारत का मालिक है, न उसको नमाज़ से मतलब है न रोज़ों से, चाहे नाम उसका अब्दुल्लाह हो, ऐसा शख्स बेशक ज़लील है रुस्वा है। एक शख्स एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर है, लाख रूपया रोज की आमदनी है मगर नमाज़—रोज़े को दक्यानूसीयत समझता है, वह और उसके घर वाले एयर कन्डीशन में रहते हैं, हवाई जहाज से सफर करते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, पूरा घर नमाज रोज़े से बहुत दूर है, घर की औरतें

बे परदा रहती हैं, सबके मुसलमानों जैसे नाम हैं, हिन्दू–मुसलमान सब उनकी इज़्जत करते हैं, लेकिन हकीकत में वह पिछड़े हैं, हकीकत में वह इज़्जत से महरूम हैं, जिसका इल्म उनको आंख बन्द होने पर होगा।

एक शख्स मेम्बर पार्लियामेंट है, मेम्बर असेम्बली है, लाखों खर्च करने के लिए सरकारी ख़ज़ाने से मिलते हैं, गाड़ी–घोड़ा, सब कुछ है, बड़े–बड़े ऑफिसर झुक कर उसको सलाम करते हैं, मगर वह न दीन का इल्म रखता है, न नमाज़ पढ़ता है, न रोज़े रखता है, अगर्चे उसका नाम मुसलमानों जैसा है, ऐसा शख्स दुनिया वालों की नज़र में चाहे जितना तरक्की याफ्ता समझा जाए और दुनिया वाले उसकी चाहे जितनी इज़्जत करें, हकीकत में वह बैक वर्ड है, और हक़ीक़ी इज़्जत से महरूम है, जिसका इल्म उसको क़ब्र में पहुँचने के बाद होगा। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के पिछड़े होने का सबब उनकी बेदीनी है, जब मुसलमान दीन वाले थे तो दुनिया के हाकिम थे, उनकी यह बात तो सही है कि दीन से दूरी उनके पिछड़ने का सबब है, मगर दीन के साथ दुनिया की इज़्जत को जोड़ना सही नहीं है, दीन है तो इज़्जत है, चाहे दुनिया की दौलत मिले चाहे गरीबी रहे, चाहे बादशाही रहे, चाहे फ़क़ीरी, दीन है तो इज़्जत है। बल्कि दीनदार तो आज़माया भी जाता है, क्या यह सही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर एक–एक महीना चूल्हा न जलता था, क्या यह सही नहीं है कि अस्हाबे सुफ्फा के जिस्मों पर पूरा कपड़ा भी न होता था, क्या यह सही नहीं है कि अस्हाबे सुफ्फा उमूमन भूखे रहते थे, क्या यह सही नहीं है कि गजव–ए–ख़न्दक के मौक़े पर जब ख़न्दक खोदी जा रही थी तो कितने सहाबा और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भूख के सबब अपने–अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। अगर यह सब सही है तो गरीब मुसलमान, जो अपने दीन पर काइम हो उस जालिम व बेदीन बादशाह से ज़्यादा इज़्जत वाला है जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक हो मगर वह अपने रब को न पहचानता हो।

अलबत्ता वह लोग जो मुसलमान के घर पैदा हुए और उनके मुसलमानों जैसे नाम हैं, किसी सबब से वह ऐसी ग़रीबी में मुब्तला हैं कि रहने को ठीक से घर नहीं, खाने, कपड़े का ठीक से इन्तिज़ाम नहीं, कुछ दौलत वाले लोग उनका इस्तिहसाल (शोषण) करते हैं, दीन के मुआमले में वह कल्मा तक नहीं जानते, नमाज़–रोज़ा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ही लोगों के लिए ख़ासिरद दुनिया वल आख़िरा (दुनिया आख़िरत दोनों जगह घाटे में रहने वाले) कहा गया है, मिल्लत के दीनदारों पर फ़र्ज़ है कि उनको आख़िरत के नुक़सान से बचाने की कोशिश करें। और क़ौम के हमदर्दों पर वाजिब है कि जहां अपने भाइयों का इस्तिहसाल हो रहा हो उनको उस से नजात दिलाएं।

कुर्आन ने कहा "क्या लोग गुमान करते हैं कि वह कहें कि हम ईमान लाए और वह आज़माए न जाएं" (सूर–ए–अन्कबूत) और कहा "हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे कुछ डर से, भूख से, जान व माल के नुक़सान से, खेत–बाग़ के नुक़सान से"। फिर कहा "ऐसे

शेष पृष्ठ.....9 पर

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

मदीना मुनव्वरा का निवास और सामाजिक व्यवस्था, दुश्मनों की नई साज़िशों (षडयंत्रों) का मुक़ाबला- मक्का मुकर्रमा में नबूवत का ज़माना शुरु होने पर आप को दावत व तबलीग़े दीन का जो अहम और सब्र तलब काम सुपुर्द किया गया था, मक्के की 13 साल मुद्दत में आपको और आपकी सरकरदगी में आप की दावत पर ईमान वालों को इस की अदायगी की ज़िम्मेदारियों से और इस रास्ते की दुश्वारियों से साबिक़ा पड़ा और उसके सिलसिले में इन हज़रात ने पूरी दृढ़ता और बरदाश्त का सुबूत दिया और उसका पूरा हक़ अदा किया।

13 साल की मुद्दत इन्सान के प्रारम्भिक जीवन की. ऐसी मुद्दत होती है जिसमें उसकी पूरी तरबियत (ट्रेनिंग) अन्जाम पा जाती है और उसको उसकी अमली ज़िन्दगी (व्यवाहारिक जीवन) के लिए बुनियादी तजुरबात भी हासिल हो जाते हैं, जो उसकी अमली ज़िन्दगी में उसकी रहनुमाई करते हैं और किसी तहरीक (आंदोलन) या दावत के लिए काम करने वालों की सलाहियते कार-करदगी (काम करने की योग्यता) को मज़बूत बनाने और उसको परवान चढ़ाने का ज़रिया बनते हैं, 13 साल की मुद्दत एक तरह से इन्सान के पैदा हो कर बालिग़ होने के क़रीब तक पहुंचाने की मुद्दत होती है, यही मुद्दत (ज़माना) अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्रर किये गए पैग़ामे हक़ (सत्य सन्देश) के शुरु होकर बुलूग़ तक पहुंचने की मुद्दत बनी, इस को सब्र व सबात (दृढ़ता) के साथ पूरा कर लेने के बाद अब आगे का मरहला शुरु हुआ।

मक्के की 13 साला मुद्दत के लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से बज़ाहिर यह निज़ाम (व्यवस्था) रहा कि दीन की दावत का फ़रीज़ा अन्जाम देने का पुरमशक़्क़त (परिश्रमपूर्ण) और तर्बियती निज़ाम अमल में आया, और दावती काम की तर्बियत (प्रशिक्षण) का ज़रिया बना और यह पूरे इलाक़े के मरकज़ी मुक़ाम (केन्द्रीय स्थान) मक्का में अन्जाम पाया जो पूरे अरब द्वीप का केन्द्रीय नगर था जो कि पूरे भू मण्डल की आबादी के बीचो बीच में केन्द्रीय बिन्दु की हैसियत रखता है, यहां काम गोया इसी तरह शुरु हुआ कि वह आसमानी मदद व निगरानी में मज़बूती हासिल करले और जब वहां उस अज़ीम (महान) काम की अमली सलाहियत और अन्दरूनी ताक़त व जज़्बे से भरपूर जमाअत एक ज़रूरी तादाद में तैयार हो जाए और जब मक्के के मुक़ामी हुदूद में इस काम के लिए हालात की साज़गारी (अनूकूलता) न रहे तो आप दूसरी जगह जहां ज़रूरत के मुताबिक़ काम करने और निज़ाम क़ायम करने की गुन्जाइश हो मुन्तक़िल हो जाएं और आइन्दा के लिए उस नई जगह को दावत और उसकी कारकरदगी का मरकज़ (केन्द्र) बनाएं।

चुनांचे यह नई जगह मदीना मुनव्वरा की सूरत में हासिल हो गई, जहां अमल

को मज़बूत और चारों ओर फैलाने का मौक़ा मिला, वहां खुद आपके मुन्तक़िल होने से पहले आपके साथियों के वहां पहुंच जाने और आपकी आमद के लिए ज़मीन हमवार कर लेने की ज़रूरत थी, वह ज़रूरत भी अन्जाम पा चुकी थी, और आपके असहाबे किराम व जांनिसाराने इस्लाम मदीना मुनव्वरा की तरफ़ हिजरत करके एक खानदान की तरह इकट्ठा हो गये थे और तक़रीबन सभी वहां मुन्तक़िल हो गए थे, उसी के बाद आप को हिजरत की इजाज़त उस वक़्त मिली जब मक्के के काफ़िरों ने यह देख कर कि आपके मानने वालों को मक्का छोड़ कर एक महफ़ूज़ जगह मुन्तक़िल होने में कामयाबी हासिल हो चुकी है, और ज़ाहिर है अब आप भी वहां चले जाएंगे और वहां से अपनी दावते हक़ जारी रखेंगे तो उन्होंने आपकी ज़िन्दगी को ही ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, चुनांचे अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़ैसला हुआ कि अब आप भी मदीना मुन्तक़िल हो जाएं, चुनांचे आपने खामोशी के साथ रात की तारीकी में दुश्मनों के दरमियान से निकलते हुए मक्के को छोड़ा और हिज़रत फरमा कर वहां तशरीफ ले आए और इस तरह अब एक मज़बूत मरकज़ (केन्द्र) और निज़ाम क़ायम करने का मौक़ा हासिल हो गया, जहां से काम को आगे बढ़ाया जा सकता था, और दावते हक़ को दूर–दूर तक पहुंचाया जा सकता था।

यसरब (मदीना मुनव्वरा) के अस्ल अरब बाशिन्दे औस व ख़ज़रज के दो क़बीलों के लोग थे[1], यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आमद तक अक्सर व बेशतर मुसलमान हो चुके थे, और मुहाजिरीन के साथ बिरादराना हमदर्दी रखते हुए बाक़ायदा मुसलमानों की मुशतरका (सम्मिलित) बिरादरी की हैसियत इख़्तियार कर चुके थे, वह आप के इस्तिक़बाल (स्वागत) के लिए तैयार थे[2]।

मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आमद– हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, मदीना पहुंचने पर कुबा की तरफ़ से दाखिल हुए, यह शहर के दक्षिण ओर लगभग तीन मील के फ़ासले पर मदीने से सम्बन्ध रखने वाली बस्ती है, जहाँ खुजूर के बाग़ात हैं, उसी के साथ उसके दक्षिणी क्षेत्र में पूरब और पश्चिम की ओर मदीना शहर का दुश्वार गुज़ार पहाड़ी नशेब व फ़राज (ऊँची–नीची) भी हैं, जिसको "हर्रह" कहते हैं, जिन पर चलना दुश्वार होता है, मदीना मुनव्वरा ऐसे पत्थरों के क्षेत्रों से पूरब और दक्षिण से घिरा हुआ है, इसलिए वहां जाने वाले सिर्फ उसके उत्तर की तरफ से शहर में दाख़िल होते हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दक्षिण की ओर से आये, शायद एहतियात की वजह से ऐसा किया था और आपका उसी तरफ़ से आने का इन्ज़ार हो रहा था। आप कुबा पहुंचने पर कई रोज़ ठहरे और आपने वहां मस्जिद की तअ़मीर की, जो इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाई[3] उसके बारे में कुर्आन में कहाः "आप तो उसी मस्जिद में नमाज़ के लिए खड़े हों, जिसकी बुनियाद अव्वल रोज़ से खुदापरस्ती पर रखी गई हो, वाक़ई ऐसी मस्जिद का हक़ बहुत ज़्यादा है कि आप उसमें

1. अलमुफस्सल फ़ी तारीखिल अरब क़बलल इस्लाम, डॉ0 जव्वाद अली, 4/129
2. सीरत इब्ने हिशाम 1/492
3. अलबिदाया वन निहाया 3/196, सीरत इब्ने हिशाम 1/494

नमाज़ को खड़े हों, उस मस्जिद की यह शान है कि उसको ऐसे आदमी आबाद रखते हों जो तहारत (यानी पाकीज़गी) का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और अल्लाह उन लोगों से मुहब्बत फ़रमाता है जो पाक साफ़ हैं"।

(सूरः तौबा आयत नं0 108)

आप वहां सोमवार के रोज़ पहुंचे थे, और तीन रोज़ बाद जुमा के दिन मदीने के लिए रवाना हुए, रास्ते में जुमा की नमाज़ का वक्त हुआ और आपने रास्ते ही में जुमा की नमाज़ अदा कर ली, मदीना शहर में दाख़िल होने पर आपका वहां ज़ोरदार इस्तिक़बाल हुआ और हर एक ख़ानदान के ज़िम्मेदार ने अपने यहां उतरने और ठहरने की दरख़्वास्त की, लेकिन आपने खुद से फैसला करने के बजाए अपनी सवारी को आज़ाद छोड़ दिया, आपको खुदा की तरफ से इसी का हुक्म था और सवारी के लिए खुदा की तरफ़ से इन्तिज़ाम था कि जहां वह रुकें वही जगह ग़ैब से मुकर्रर आपको अल्लाह के हुक्म से उसी जगह को इख़्तियार करना था, वरना तो आपको हर तरफ़ से दअ़वत दी जा रही थी कि उनके मकान में रुकें।

बहरहाल यह शरफ़ (सम्मान) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि0 को हासिल हुआ कि उन्हीं के दरवाज़े पर आपकी ऊँटनी बैठी, और आपने वहीं ठहरने का फ़ैसला किया[1] और यह भी संयोगवश था कि अबू अय्यूब मदीने के ख़ाज़रज क़बीले के ऐसी शाख़ के फर्द थे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा थीं, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस घराने से रिश्तेदारी भी थी।

---

1. सीरत इब्ने हिशाम 1/496, दलाइलुन नबूवा 2/503

❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें.....

एक ज़गह है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रात को घर में आने से मना किया। (बुख़ारी–मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में रात को नहीं जाते थे, सुबह को जाते या शाम को।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

❑❑

रुस्वा कौन .....

लोगों को ख़ुशखबरी दे दीजिए, जो आज़माइश व मुसीबत के आने पर कह उठते हैं कि हम तो अल्लाह के ही हैं, और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं"। (सूर–ए–बकरह)

हम यह नहीं कहते कि मुसलमान रहबानियत (सन्यास) अपनाएं, हम माल व दौलत कमाने, इन्जीनियर और डॉक्टर बनने से रोकते नहीं, बल्कि उसकी तरग़ीब देते हैं, यह सब कुछ हो मगर दीन के साथ।

जिसमें दीन नहीं उसको पिछड़ा कहिए, जिसमें दीन नहीं उसको रुस्वा समझिए, और उसको रुस्वाई से निकालने की कोशिश कीजिए, और डंके की चोट पर कहिए, लोगो! दीन से जुड़ो, लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का एलान करो, ज़िन्दगी इस कल्मे के मुताबिक़ गुज़ारो, कामयाब हो जाओगे। और खुदा न चाहे दीन हाथ से गया तो हमेशा वाली ज़िन्दगी तबाह हो जाएगी और इससे बढ़कर ज़िल्लत व रुस्वाई और इससे बढ़कर घाटा और कोई नहीं हो सकता, भले कामों के फैलाने में जो मुश्किलात और कठिनाइयां आएं उनको बर्दाश्त करते रहना चाहिए। ❑❑

पवित्र कुर्आन और मुहम्मद सल्ल0 से हमारा सम्बन्ध कैसा हो?

—मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी —अनु0 नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

ईमान वाला अल्लाह के कारखाने में मुजाहिद होता है-

एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि जब आदमी ईमान लाता है अथवा ईमान वाला हो जाता है तो मानो अल्लाह के कारखाने में उसको नौकरी मिल गई। ईमान लाया तो मानो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा अपवाइंमेन्ट हमारे कारखाने में हो गया। यदि बाप मुसलमान हैं और बेटा भी ईमान वाला है तो दोनों को नौकरी दे दो, क्योंकि ये अल्लाह का कारखाना है। ये सरकारी नौकरी नहीं है कि जहाँ धोखा देकर नौकरी कर लेते हैं। काम आठ घण्टे का, लेकिन किया दो घण्टे। उस पर ज़्यादा पैसा मारने के चक्कर में भी रहे। अल्लाह के यहां ये सब नहीं चलता। अल्लाह के फरिश्ते लगे हुए हैं काम पर। वह जानकारी रखते हैं कि कौन काम पर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पाँच वक्त की ड्यूटी उसको पूरी करनी है, और उसको दावत का भी काम करना है, समझाना भी है, बेटियों को भी समझाना है, पत्नी को भी समझाना है, पड़ोसी को भी समझाना है। सबके हुकूक हैं, सबको अदा करना है। सब उसके ज़िम्मे किये गए हैं। पड़ोसी का ये हक़ है कि यदि कोई पड़ोसी भूखा है तो आपको उसे खाना खिलाना है। यदि कोई अनाथ है तो उसके सर पर हाथ रखना है। यदि कोई रास्ता भटक गया है तो उसे रास्ता दिखाना है। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करनी है। कोई मुसीबत का मारा है तो उसकी मुसीबत दूर करनी है।

पत्नी का हक़ अदा करना है, बच्चों का हक़ अदा करना है, और जो ज़िम्मेदारियां दी गई हैं उन सबको पूरा करना है, ये सारी ड्यूटी है। उन पर जो पाबन्दी है वह कि अदा कर रहा है कि नहीं। अब अगर कर रहा है तो ठीक है, यदि नहीं करेगा तो ये बात याद रखिये कि कारखाने से उसको निकाला जाएगा और जब कारखाने से उसकी जगह खाली होगी तो नया अपवाइन्मेन्ट होगा, नये लोग उसकी जगह आएंगे, जो उससे बहुत अच्छे होंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले होंगे। ये कुर्आन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुर्आन कह रहा है कि यदि आप ठीक नहीं चलेंगे तो अल्लाह दूसरों को लाएगा, जो दूसरों की जगह काम करेंगे। आज इस समय मामला ऐसा हो गया है कि मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि न हमको आस्था (अक़ीदा) देखना है न इबादतों की पाबन्दी करनी है, न व्यवहार—सम्बन्ध अच्छे रखना हैं, न नैतिकता को अपने में उतारना है। अब देखो ना! आज जल्से में आ गए और समझने लगे कि बड़ा उपकार किया हमने जल्से में आकर। अरे! उपकार किस पर किया? जल्से में आए, भाषण सुना, और वाह— वाह करते हुए घर लौट आए और सकून से जाकर सो गए, और उसके बाद सबसे पहले ये किया कि फज्र की नमाज़ कज़ा की। अरे मेरे भाई! यदि इसी तरह मामला रहा तो कैसे काम चलेगा?

देखिए! अल्लाह नें इसीलिए कहा कि ये ड्यूटी है। फर्ज़ ड्यूटी है। नमाज़ पाँच वक्त की फर्ज़ है, ज़कात फर्ज़ है और हज फर्ज़ है। ये ड्यूटी है, इसको अन्जाम देना ही है। आपका अपवाइन्टमेन्ट हुआ है, इसलिए अगर ये अन्जाम नहीं देंगे तो ज़ाहिर है कि कारखाने से निकाला जाएगा। आज नये अपवाइन्टमेन्ट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। खुशी की बात भी है और बहुत खतरनाक बात भी। लोग तो समझते नहीं हैं। नये अपवाइन्टमेन्ट इस बात की अलामत है कि कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ निलंबित किये जा रहे हैं। जो लोग आज इस्लाम छोड़ कर जल्सों में उलझे हुए हैं, जश्नों और उर्सों में उलझे हुए हैं और उसी को इस्लाम समझ रहे हैं तथा इसी को सब कुछ समझ रहे हैं तो ऐसे लोग गए काम से। अल्लाह हिफाज़त फरमाये! ऐसे लोगों को दर्दे सर होता है और वह ग़लत केमिस्टों से दवा लेकर और बीमार होते हैं। इस प्रकार फिर पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए वह दर्दे सर बन जाते हैं। तो आज ये लोग पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। उनके पास न इल्म हैं, न कुर्आन का अदब हैं, न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जानते हैं, न उनसे सम्बन्ध है। अरे नाम से क्या होता है? सम्बन्ध से तात्पर्य क्या है कि हम किसी से कहें कि साहब आपसे मुझे बहुत प्रेम है, सम्बन्ध है। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि एक व्यक्ति आया और उनकी गर्दन पकड़ कर घसीटने लगा, अब आप चुपके से खिसक लिए और बाद में उनसे भेंट हुई तो वो बेचारे कहने लगे कि आप तो कह रहे थे कि मुझे आपसे बहुत प्रेम और घनिष्ट सम्बन्ध है? उसने मेरी गर्दन पकड़ी उस समय आप कहां चले गए थे?

अल्लाह के बन्दे उसी समय तो साथ देने की बात थी। लोग कह तो रहे हैं कि हमें अल्लाह के रसूल (सन्देष्टा) से मुहब्बत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत को ज़िब्ह किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कल्मे को ख़त्म किया जा रहा है। ईमान को खत्म करने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। ये काम नये नामों, नये नारों और नई चमक–दमक के साथ भव्य इमारतों में अन्जाम दिया जा रहा है। कहां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सम्बन्ध रखने वाले? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत अपने अन्दर महसूस करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए जान देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कुर्बान होने वाले कि ये हमारे होते हुए नहीं हो सकता, कितने लोग कहने वाले हैं आज?

मेरे भाइयो! होश में आ जाओ, अल्लाह न करे यही हालत रही, यही तरीक़ा रहा, उसमें उलमा और गैर उलमा की क़ैद नहीं। यदि कुर्आन से और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हमारा तअल्लुक़ सही नहीं हुआ, मुहब्बतें सही नहीं हुईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हमारा आत्मिक सम्बन्ध नहीं बना तो अल्लाह ही हमारा हाफिज़। आज खतरे की घण्टियां बज रही हैं। यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक न जाने क्या–क्या पास हो रहा है, लेकिन हमारा हाल क्या है? बस दो लुक्मा और इन्नालिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन।

आज पूरी उम्मत ऐसी भूखी है जैसा कि एक किस्सा

मशहूर है कि किसी ने भूखे से पूछा कि दो–दो कितने हुए? उसने कहा दो–दो चार रोटी। अरे! दो–दो चार होते हैं, इतना कहिये, लेकिन इतना भूखा–प्यासा था कि उसके मुँह से निकल जाता था कि दो–दो चार रोटी। आज कमेटियां बनाई जा रही हैं, बिल पास किये जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बन्दों को नहीं मालूम कि ये रोटी देकर ईमान ले लेगी। हालाँकि कुर्आन में ऐलान किया गया है कि "समस्त प्राणियों की रोज़ी (जीविका) अल्लाह के हाथ में है। और कुर्आन में अल्लाह ने ये भी कहा है कि "तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों के फायदे के लिए निकाले गए हो, भलाई का आदेश देते हो और बुराईयों से रोकते हैं"। अर्थात तुम इस लिए भेजे गए हो कि भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको। ये काम हम लागों के ज़िम्मे है और रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। हमने उल्टा कर दिया है कि रोज़ी हमारे ज़िम्मे है और भलाई का आदेश देना अल्लाह के ज़िम्मे है। कुर्आन के आदेशों को हमने भुला दिया। अल्लाह के रसूल (सन्देष्टा) और सहचरों (सहाबा) के जीवन चरित्र को हमने भुला दिया तथा दुनिया पर ऐसे गिरे कि सब कुछ भूल बैठे।

आज सब परेशान हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि इलाज तो कुर्आन में है। मेरे भाइयो! कौन कहता है कि रोटी मत खाओ, रोटी खाओ मगर इज़्ज़त के साथ खाओ, ज़िल्लत के साथ क्यों खाते हो। भई! इज़्ज़त के साथ वह खाता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और शासकों, समितियों आदि पर भरोसा नहीं रखता तथा उन्हें जीविका प्रदान करने वाला नहीं समझता। और हां! जो उनपर भरोसा करेगा उन्हें रोटी तो मिल जाएगी लेकिन ज़िल्लत के साथ मिलेगी। उसकी हालत उस आदमी की तरह हो जाती है कि एक सज्जन थे, उनकी बिगड़ी हुई आदत ये थी कि जहां कहीं दो चार खाने–पीने वाले को देखते, वहीं भी बैठ जाते। संयोग से वह सज्जन एक मजबूत आदमी के सामने बैठ गए। उसे लालचियों से बड़ी नफरत थी। जैसे ही वह सज्जन बैठे उस मजबूत आदमी ने एक हाथ खींच कर मारा कि आँसू निकल पड़े, मगर वह सज्जन खाते रहे और कहने लगे, हमारे अब्बा भी इसी तरह मार–मार कर खिलाते थे। अब आदत ही खराब हो गई, क्या किया जाए। तो मेरे भाइयो! इस समय स्थिति बड़ी खराब है। बस इतनी बात है कि कम से कम ये समझ लें कि कुर्आन है क्या? कितनी बड़ी दौलत आपके घर में है, लेकिन फिर भी भिखारी बने हुए हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जैसे व्यक्तित्व से हमारा सम्बन्ध है, उनसे प्रेम है, उसके बाद फिर भी परेशानी, मतलब क्या है? इसका मतलब है तअल्लुक सही नहीं है। न कुर्आन से तअल्लुक़ सही है न हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तअल्लुक़ सही है। ये भी अल्लाह का करम है कि उसी के नाम पर आ जाते हैं। अतः उसी को अधिक से अधिक मज़बूत करें, ताकि हमारा ये सम्बन्ध हमको ऊपर पहुंचाए, उच्चतर और विशिष्टता के उस शिखर पर पहुंच जाएं जहां ईमान वाले को पहुंचना चाहिए।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सच्चे मन से सोचें, बार–बार चिन्तन–मनन करें, स्थिति बड़ी संवेदनशील है।

शेष पृष्ठ.....15 पर

ईश्वरीय शिक्षा एवं भ्रष्टाचार का निदान

—मुहम्मद दाऊद

इतिहास गवाह है कि ईशदूतों से बढ़कर मानवता और समाज का भला चाहने वाला कोई नहीं हुआ। उनके पद्चिन्हों पर चलकर ही समाज का भला हो सकता है। यह बात अलग है कि मनुष्य ने हर समय–काल में उनके आदेशों की अनदेखी की है। उसने ईशदूतों को सताया, बेघर किया। यहां तक कि कुछ को क़त्ल भी कर दिया। हालांकि समाज व मानवता पर जब भी कोई संकट आया इन्हीं ईशदूतों की शिक्षाओं ने रास्ता दिया, मार्गदर्शन किया। आज भ्रष्टाचार समाज व देश की बड़ी समस्या है। इसके ख़िलाफ़ नये–नये ढंग से मुहिम चलायी जा रही है। उपवास, धरना, प्रदर्शन सत्याग्रह आदि लेकिन सारे तरीक़े बेकार साबित हो रहे हैं। समस्या हल होती नहीं दिख रही है। बीमारी उसी दवा से दूर होगी, जो उसके लिए बनी है।

ईशदूतों ने इन्सानों को बताया कि जिसने जीवन दिया है उसी ने जीवन यापन का तरीक़ा भी बताया है। ईश्वर एक है, निरंकार है उसी की इबादत से इन्सान व इन्सानियत का भला हो सकता है। एक दिन दुनिया का जीवन समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना है। इस समय जो बच गया वही सफल हुआ। जब से दुनिया है चरित्र निर्माण का यह तरीक़ा सत्य पर आधारित व प्रभावशाली रहा है।

मुस्लिम शासकों के दौर में अनेक शासक ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने सरकारी ख़ज़ाने से एक पाई भी नहीं ली। किसी ने कुर्आन को हाथ से लिख कर उसकी प्रति तैयार करके, किसी ने टोपी सी कर अपना ख़र्च चलाया। ईश भय एवं उसके सामने जवाबदेही के एहसास के बिना भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। अगर हम सही चाबी की जगह ग़लत चाबियों से ताला खोलना चाहें तो वह नहीं खुलेगा। अन्ना हज़ारे जितना ज़ोर लगा दें, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा।

वह समय और था जब विदेशी अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना था। लोगों ने क्रांति पैदा की और देश आज़ाद हो गया, लेकिन शासन–प्रशासन में क्रांति आना अभी बाक़ी है। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ इस तंत्र में क्रांति तभी आएगी जब लोगों में ईश–भय पैदा होगा। ईश्वर के सामने जवाब देने की भावना पैदा होगी। हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर ज़बरदस्त असमानता है। एक वर्ग के पास खाने को रोटी नहीं है तो दूसरी ओर दूसरा वर्ग संसाधनों पर क़ब्ज़ा जमाये बैठा हुआ है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार मिटाने की शुरुआत हम स्वयं से करें। अपने को उदाहरण बनाएं। यह भी देखें कि ईश्वरीय विधान के अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है भ्रष्टाचार दूर करने का तथा धरती पर सुख शांति लाने का।

(कान्ति पत्रिका से ग्रहित)

❑❑

—नोटः संस्था का लेखक से सहमत होना आवश्यक नहीं।

दो पाटों के बीच मुस्लिम समाज

—मुदस्सिर हुसैन

जब देश का संविधान बना तो हिन्दू दलितों को छोड़ कर और किसी को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया। मगर जल्द ही सिख नेताओं की मांग पर उनके दलितों को यह सुविधा मिली। जब वी0पी0 सिंह की सरकार बनी तो नव–बौद्धों को भी जो उस धर्म के दलित हैं, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया। नरसिंह राव सरकार के ज़माने से ईसाई दलितों को इस सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में लंबित है। लोगों को याद होगा कि मदर टेरेसा तक इस मांग के लिए एक दिन दिल्ली में धरने पर बैठी थीं। इसके लिए उनको अनेक लोगों से गालियां तक सुननी पड़ीं। हमारे राष्ट्रवादी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि बिना संविधान में संशोधन किये हुए मुस्लिम आरक्षण कभी भी न पूरी होने वाली मांग है। इससे साम्प्रादायिक धुर्वीकरण को खतरा है। यूं भी धर्म के आधार पर आरक्षण दिये जाने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों का मन बहलाने के लिए आँध्र प्रदेश सरकार ने एक बचकानी पहल की थी, जिसका परिणाम पूरा देश जानता है। दूसरी तरफ हमारे धर्म गुरु इस्लाम में ऊँच–नीच भेदभाव से इंकार करते रहे और एक ऐसे ज़ख्म को छिपाते रहे जो अब सड़ने लगा है और जिसकी दुर्गन्ध से सच्चर आयोग की रिपोर्ट भी अछूती नहीं है। इस्लाम धर्म में जातिवाद/वर्ण व्यवस्था से इंकार करके मुस्लिम रहनुमाओं ने मुसलसल अपनी क़ौम को गड्ढ़े में ढ़केलने का काम किया है। धर्म के आधार पर आरक्षण मिल नहीं सकता और मज़हब जातिवाद/भेदभाव (तफरीक़) की इजाज़त नहीं देता। ऐसे में अपनी क़ौम की बदहाली को कैसे दूर किया जाये इसके लिए भी उनके पास कोई उपाय नहीं है, केवल इक़बाल का एक शेर मात्र पढ़ कर "एक ही सफ़ में..... महमूदो अयाज़" वे अपनी ज़िम्मेदारी के दायरे से निकल जाते हैं। जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान से इंसान का मल उठवाने का काम मुगलों के ही दौर में शुरु हुआ। मुगलों की हवेलियों में मल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही थे। यह अलग बात है कि उन्हें एक बढ़िया सा नाम लालबेगी या हलालखोर दे दिया गया। हिन्दुओं में भी यही काम करने वाले हलखोर कहलाये और समाजिक सिथिति भी दोनों की एक ही जैसी है। मगर मुसलमान लालबेगी अनूसूचित जाति के आरक्षण से वंचित हैं। इन हालात में मुसलमानों का उत्थान कैसे होगा। हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने भले ही आरक्षण में कोई दिलचस्पी न दिखाई हो मगर यह एक गंभीर समस्या है और देश के विकास से इसका सीधा संबन्ध है। यदि सरकार मुसलमानों में हिन्दुओं की ही तरह दलित मुसलमान को चिन्हित करे और उन्हें

अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण दे भी दे तो बाकी मुसलमानों का क्या होगा। 1871 ई0 की जनगणना के आधार पर हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान शिक्षा और नौकरियों में आगे थे, मगर आज स्थिति उसके बिल्कुल उलट है। विकास की दौड़ में उन्हें भी उपेक्षित रखा गया है और मुख्य धारा से जुड़ने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया है। वर्तमान में मुसलमानों की बदहाली को देख कर ऐसा लगता है कि या तो मुसलमान मुख्य धारा से दूर रहें हैं या फिर मुख्य धारा उनके आस–पास से गुजरी ही नहीं। केवल बिहार में मुसलमानों में चन्द ऐसी जातियाँ हैं जो पूरी तरह से अनुसूचित जाति के आरक्षण के दायरे में आती हैं, मगर वह आज भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इसके ज़िम्मेदार हमारे धर्म गुरु ही हैं जो हमेशा से इस्लाम में समानता की दुहाई देते चले आ रहे हैं, जबकि उनके पारिवारिक उत्सवों में केवल उनकी माज़रत् ही पहुँचती है। ज़ाहिर है कि पिछले कई दशकों से मुस्लिम समाज इस तरह दो पाटों के बीच पिसता चला आ रहा है। रोजगार के अवसर सिकुड़ते ही जा रहे हैं, यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किये जाने की बात हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने का मुद्दा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हिस्सा खाने की कोशिश होगी जो देश के माहौल को गर्मा सकती है?

❖❖❖

पवित्र कुर्आन और .....

अन्दर–बाहर हर जगह की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। मैं बाहर के दुश्मन से इतना नहीं डरता जितना अन्दर के दुश्मन से डरता हूँ। जो अन्दर के लोग हैं, मामला उन्हीं से ख़राब होता है। आप ठीक हो जाइये, लोगों की निगाहें ठीक हो जाएंगी। हम ठीक हो जाएं, अल्लाह की कृपा दृष्टि (नज़रे इनायत) हम पर हो जाएगी। अल्लाह के निकट एक मुसलमान इतना कीमती है कि हदीस में आता है कि एक मुसलमान की हत्या अल्लाह के निकट इतना बड़ा गंभीर अपराध है कि पूरी दुनिया तहस–नहस हो जाए, ये आसान है, लेकिन एक मुसलमान की हत्या कर दी जाए ये आसान नहीं है। वही जो मैंने शुरु में कही कि जब आदमी कुर्आन वाला बन जाता है तो वह उस शिखर पर पहुंच जाता है कि उस तक हाथ पहुंचना भी असंभव होता है। लेकिन जब हम कुर्आन वाले न रहे, रसूल वाले न रहे तो फिर जो चाहे इधर से उधर मारे, इधर–उधर से पीटे, गल्ती तो हमारी है। हमारे अन्दर भी वही बात आ जाए अर्थात कुर्आन से सम्बन्ध जुड़ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम हो जाए तो आज भी संसार सम्मान देने पर विवश हो जाए। अभी थोड़ा बहुत सम्बन्ध है तो इतना सम्मान है, यदि वास्तव में गहरा सम्बन्ध बन जाए तो क्या हो जाए। बस ये चन्द बातें हैं लेकिन विचारणीय हैं। अल्लाह हम सबको कुर्आन वाला बना दे और रसूल वाला बना दे तथा दोनों से सही तअल्लुक़ व आत्मिक लगाव पैदा कर दे। आमीन! ❑❑

कुर्आन में मूल्यों की शिक्षा- एक अध्ययन

–डॉ0 इसपाक अली

मूल्य सम्बन्धी ज्ञान दर्शन शास्त्र का एक विशेष अंग है। मूल्यों का स्रोत, धार्मिक ग्रन्थ, संविधान और संस्कृति होते हैं। सभी धर्म अपने अनुयायियों को जीवन मूल्य बताते हैं, धर्म ग्रन्थों में इन जीवन मूल्यों का उल्लेख मिलता है। नैतिकता धर्म से ही उत्पन्न होती है। ईश्वर की आज्ञा और निषेध ही शुभ–अशुभ का निर्णय करते हैं। दैवी नियम ही नैतिक मापदण्ड हैं। ईश्वर अपनी इच्छा से नैतिकता की उत्पत्ति करता है। वह स्वयं किसी भी नैतिक नियम से बाध्य नहीं है। उसकी आज्ञाओं को हम पैगम्बरों और दैवी पुस्तकों द्वारा जानते हैं

कुर्आन इस्लाम धर्म का स्रोत है। कुर्आन में वर्णित समस्त सिद्धान्त एवं विधि तथा आदेश इस्लाम धर्म के मूलाधार हैं। उनकी व्याख्या एवं संज्ञान में ही इस्लाम धर्म का आध्यात्मिक मूलाधार है। उनकी व्याख्या एवं संज्ञान में ही इस्लाम धर्म का आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। इससे धार्मिक चिन्तन को श्रेष्ठता प्राप्त होती है, क्योंकि कुर्आन का आदेश है कि बौद्धिक तर्क–वितर्क द्वारा दैवी ज्ञान की वास्तविकता अनुभव करो और प्रत्यक्ष तर्कों से अपने विश्वास को चमकाओ और सत्य मार्ग पर स्थापित हो जाओ।

इस्लामी विश्वास है कि कुर्आनी प्रामाणिकता के पश्चात किसी अन्य तक–वितर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कुर्आन अन्तिम तर्क–वितर्क है। कुर्आन इसके विषय में स्वयं कहा है "यह कुर्आन अन्तिम तर्क–वितर्क है"।

(कुर्आन 46/35)

इस्लाम धर्म के समस्त दैवी संज्ञान का वास्तविक स्रोत कुर्आन ही है, जिसमें कायनात का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ज्ञान संरक्षित है। कोई गोपनीय एवं रहस्यमय बात ऐसी नहीं है जो कुर्आन की परिधि से बाहर हो। ये महान ग्रन्थ मानवीय, शैक्षिक, जीवन मूल्यों का अपार संग्रह है जो जीवन के सभी पहलुओं को शैक्षिक आधार प्रदान करता है। कुछ मूल्यों का अध्ययन इस प्रकार है:– सामाजिक मूल्यों के अर्न्तगत हम प्रेम, सत्य, समानता, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, आदर का अध्ययन करते हैं। कुर्आन जीवन के सभी मूल्यों का अध्ययन करता है। सामाजिक मूल्यों के सभी अंगों का वर्णन कुर्आन में प्रसंगानुकूल किया गया है। समाज के सभी पक्षों, सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। नैतिकता व सामाजिक शिष्टाचार और उसका सामाजिक मूल्य कुर्आन व सामाजिक शिष्टाचार और उसका सामाजिक मूल्य कुर्आन में देखें– "लोगों के साथ भलाई कर, जिस प्रकार की ईश्वर ने तेरे साथ भलाई की है"। (कुर्आन, 28:77)

"निःसंदेह ईश्वर किसी दगाबाज कृतघ्न को पसन्द नहीं करता"। (कुर्आन 22/38)

".....ईश्वर ने आदेश दिया है अच्छा व्यवहार करने का एवं माँ–बाप के साथ, और रिश्तेदारों, अनाथों, निर्धनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों अपरिचित

पड़ोसियों, साथ बैठने वालों, मुसाफिरों और गुलामों के साथ"। (कुर्आन, 4/36)

समाज में भलाई करने और ईश्वर से डरने तथा उससे प्रेम करने के कार्यों को उत्साहित किया जाए। न केवल उत्साहित किया जाए, बल्कि अनिवार्य है कि लोग ऐसे कामों में एक दूसरे की मदद करें।

"अच्छे और ईश भय के कार्यों में एक दूसरे की सहायता करो"। (कुर्आन, 5/2)

अश्लीलता और व्यभिचार की बातें करना मना है, क्योंकि इससे समाज की पावन मानसिकता आहत हो जाती है और इस बुराई के विरुद्ध लोगों की नैसर्गिक और धारणात्मक घृणा हल्की पड़ने लगती है, इसलिए उन्हें कठोर दण्ड की धमकी दी गई है जो इस प्रकार की चर्चाएं किया करते हैं या समाज को अश्लील देखना चाहते हैं–

"जो लोग चाहते हैं उन लोगों में, जो ईमान लाए हैं, अश्लीलता फैले, उनके लिए दुनिया और परलोक में दुःखद यातना है"। (कुर्आन, 24/19) रहन–सहन और खाने–पीने में सन्तुलन रखा जाए। कुर्आन में बताया गया कि मनुष्य खर्च करने के सम्बन्ध में न अधिक खर्च करे और न ही कंजूसी करे।

"जो खर्च करते हैं तो फुजूलखर्ची करते हैं और न ही कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि वे इनके बीच की राह अपनाते हैं"। (कुर्आन 25/67)

इसी प्रकार बड़ी से बड़ी खुशी के अवसर पर भी गर्व न करने की बात कही गई है।

"उस चीज का अफसोस न करो, जो तुमसे जाती रहे और न उस पर फैल जाओ जो उसने तुम्हें प्रदान की हो"।

(कुर्आन 57/23)

राजनीतिक मूल्यों की बुनियाद ईश्वरीय हिदायतों पर रखी गई है। राजनीति में नियम, आदेश और निर्देश जो हों उनका प्रसन्नता के साथ पालन करना चाहिए। कुर्आन में अल्लाह का आदेश है "और जब लोगों के बीच फैसला करो, तो न्याय के साथ फैसला करो"। (कुर्आन 4/58)

कुर्आन की शिक्षा में राजनीति में वचन के पालन को स्पष्ट किया गया है "वचन वादे का पालन करो! निःसन्देह वचन के बारे में तुमसे पूछताछ होगी। (कुर्आन 17/34)

भेदभाव का व्यवहार आपस में होता रहा है। कुर्आन में भेदभाव को समाप्त कर उदारता का उल्लेख किया गया है। "तुम बुराई को उस भलाई से दूर करो जो सबसे अच्छी हो, तुम देखोगे कि वह जिसकी तुम्हारे साथ दुश्मनी थी वह दोस्त बन गया"।

(कुर्आन 41/34)

"किसी समुदाय की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम न्याय ही को त्याग बैठो, तुम सदैव न्याय करो, वही धर्मपरायणता के अनुकूल बात है।" (कुर्आन 5/8)

नैतिक मूल्यों का स्रोत धार्मिक ग्रन्थ ही होते हैं। मानवीय व्यवहार बड़ी हद तक सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों से नियन्त्रित होता है। वर्तमान समाज में नैतिकता को विश्वास या आस्था का दर्जा देना है। कुर्आन ने नैतिकता को सम्पूर्ण मानवीय जीवन का अंग स्वीकारते हुए उसे जीवन मूल्यों से जोड़ दिया है।

कुर्आन की शिक्षा, समानता, भाई चारे के मूल्यों को बढ़ावा देती है। रंग, नस्ल, जाति, वंश,

भाषा, क्षेत्र तथा व्यवसाय के आधार पर मनुष्यों में भेद भाव को अवैध घोषित करता है। (49:13) वर्तमान सामाजिक संघर्षों की पृष्ठ भूमि में इस नैतिक सिद्धान्त की सार्थकता कितनी है, विचार किया जा सकता है। एक अन्य नैतिक और मानवीय गुण मूल्य, धैर्य एवं सन्तोष है, जिसको कुर्आन में कई प्रकार से समझाया गया है। वर्तमान युग में मिथ्या वर्णन, झूटे विज्ञापन का चलन एक सामान्य बात है। यहां तक कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए नित नये कानून बनाने पड़ रहे हैं। कुर्आन ने इसे धरती के बिगाड़ की संज्ञा दी है।

"और लोगों को उनकी चीज़े देने में घाटा या गड़बड़ी न करो और धरती में बिगाड़ फैलाते न फिरो।"

(कुर्आन 11:85)

कुर्आन ने जुआ खेलना, शराब पीना अपवित्र कर्म बताया है। "ये शराब और जुआ और पांसे तो गन्दे शैतानी काम हैं, अतः तुम इनसे दूर रहो।"

(कुर्आन 5:90)

वर्तमान सन्दर्भ में आज विश्वव्यापी शान्ति के मूल्य की स्थापना की आवश्यकता है। शांति शिक्षा के विषय में मारिया मान्टेसरी कहती हैं– "वे जो युद्ध चाहते हैं, नई पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करते हैं, पर जो शान्ति चाहते हैं, उन्होंने बालकों व किशोरों की उपेक्षा की है। अतः वह उन्हें शान्ति के प्रति संगठित करने में भी असमर्थ है। शिक्षा के प्रति मान्टेसरी की दृष्टि शान्ति शिक्षा के लिए एक उद्देश्य परक ठोस आधार प्रदान करती है।

शान्ति स्थापित करने, शान्ति की शिक्षा प्रदान करने में शान्ति मूल्य का विकास करने में धर्म व धार्मिक ग्रन्थों का महत्वपूर्ण योगदान है। कुर्आन में इस्लाम शब्द, जो अरबी भाषा का शब्द है जिसकी धातु सिल्म है। सिल्म का शाब्दिक अर्थ सुख–शान्ति और समृद्धि है। इस्लाम में है कि स्वयं भी सुख–शान्ति तथा सन्धि समन्वय से रहो तथा अन्य व्यक्तियों को भी सन्धि समन्वय से रहने दो। किसी भी व्यक्ति के सुख–शान्ति तथा सन्धि समन्वय के जीवन में बाधा न उत्पन्न करो। कुर्आन के उद्धरण देखिए– "जो सुख और विपदा, प्रत्येक स्थिति में सहमति करते हैं और क्रोध को पी जाते हैं, और लोगों को क्षमा करते हैं, ईश्वर उपकारी को मित्र मानता है।"

(कुर्आन 3/34)

"और उनसे देवदूत कहते हैं कि तुमको शान्ति प्राप्त हो।"

कुर्आन 16/32)

"और जब तुम लोगों को कोई उपहार भेंट किया जाए तो उससे अच्छा या कम–से कम वैसा ही वापस करो।"

(कुर्आन 4/86)

"ईश्वर के वर्जित किए हुए किसी जीव की नाहक हत्या नहीं करते, और न व्यभिचार करते हैं, ये काम जो कोई करेगा वह अपने पाप का बदला पाएगा।" (कुर्आन 25/68)

कुर्आन ने मानवीय गरिमा व प्रतिष्ठा के मूल्य को सम्मान दिया तथा विश्व जगत को मानव प्राण के यथोचित मूल्य से अवगत कराया।

"मानव प्राण को ईश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है, उसकी हत्या न हो, किन्तु उस समय जबकि सत्य और न्याय उसकी हत्या की मांग न करे।" (कुर्आन 6/151)

शेष पृष्ठ.....25 पर

आदर्श शासक

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

अरब साम्राज्य के महान सम्राट हज़रत उमर रज़ि0 के शासनकाल में हज़रत उमैर बिन साद रज़ि0 को हिम्स का हाकिम नियुक्त किया गया। जब उन्हें कार्यभार सौंप कर वहाँ भेजा गया तो एक वर्ष तक हज़रत उमर रज़ि0 के पास उनकी कोई सूचना न आई। निराश हो कर हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें पत्र लिखा कि जो कुछ तुमने वहाँ धनराशि वसूली है उसे लेकर तुरन्त मदीना पहुँचो।

इस्लाम में अपने अमीर की बात मानने की बड़ी ताकीद की गई है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर लोगों को खूब उभारा है। हदीस के संग्रह बुखारी, मुस्लिम, अबूदाऊद आदि में बड़े विस्तार से इस विषय पर पढ़ा जा सकता है।

ख़ैर! पत्र मिलते ही हज़रत उमैर रज़ि0 ने एक हाथ में डण्डा और दूसरे हाथ में थैला जो आवश्यक सामग्री से युक्त था, लेकर मदीने की ओर पैदल ही चल पड़े। रास्ते में यात्रा के तमाम झंझावतों और थकान से लड़ते हुए वह मदीना पहुँचे। मदीना वासियों ने उनके धूल से अटे चेहरे और बाल तथा रंग बदले शरीर को देख कर बड़ी हैरत में पड़े। हज़रत उमर रज़ि0 ने ये देखकर पूछा, भाई! ये क्या दशा बना रखी है? उमैर रज़ि0 ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तो अच्छा–भला हूँ, मेरे साथ तो दुनिया है जिसे मैं खींच रहा हूँ।

हज़रत उमर रज़ि0 ने उनकी ख़ैर–ख़ैरियत लेने के बाद पूछा, ये तुम्हारे पास क्या है? हज़रत उमैर रज़ि0 ने कहा, ये मेरा थैला है, जिसमें यात्रा हेतु आवश्यक खाद सामग्री है, ये प्याला है जिसमें खाता और पीता हूँ तथा नहाने–धोने में इस्तेमाल करता हूँ। ये छोटी सी मशक है जिसमें पीने और वुज़ू के लिए पानी रखता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा डण्डा है जिस पर टेक लगाता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इससे दुश्मन का मुकाबला करता हूँ, अल्लाह की कसम! दुनिया इसके अलावा किसे कहते हैं?

हज़रत उमर रज़ि0 ने पूछा, क्या पैदल आए हो? हज़रत उमैर रज़ि0 ने कहा, जी हाँ! हज़रत उमर रज़ि0 ने पूछा, क्या वहां कोई तुम्हें ऐसा आदमी न मिला जो तुम्हारे लिए किसी सवारी का जुगाड़ कर देता? हज़रत उमैर रज़ि0 ने कहा, न मैंने उनसे इसके लिए कहा, न उन्होंने किया। इसपर हज़रत उमर रज़ि0 ने कहा, वह कितने बुरे लोग हैं जिनके यहाँ से तुम आए हो। इस पर झट से हज़रत उमैर रज़ि0 ने कहा, अरे नहीं अमीरुलमुमेनीन! अल्लाह से डरिये, अल्लाह ने आपको परोक्षनिन्दा (ग़ीबत) से मना किया है, वह लोग मुसलमान हैं, मैंने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।

अब अमीरुलमुमेनीन हज़रत उमर रज़ि0 उनके शासकीय प्रबन्ध–व्यवस्था की जांच–पड़ताल करने लगे और पूछा, तुम्हें मालूम है न कि मैंने तुम्हें कहां भेजा था? बताओ वहां तुमने क्या काम किया? हज़र उमैर रज़ि0 बोले, हज़रत! आपने मुझे जहां भेजा था, मैं

उस शहर में गया और स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें टैक्स जमा कराने पर नियुक्त किया, जब सम्पूर्ण टैक्स जमा हो गया तो उसे ज़रूरतमन्दों में बांट दिया, यदि आप भी उसके योग्य होते तो मैं आपके पास भी ज़रूर कुछ न कुछ भेजता।

हज़रत उमर रज़ि0 उनकी इस कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से बहुत खुश हुए और आदेश दिया कि उन्हें फिर उसी पद पर नियुक्त किया जाए। लेकिन दुनिया को एक दलदल से अधिक न समझने वाले हज़रत उमैर रज़ि0 ये ज़िम्मेदारी दोबारा लेने को तैयार न हुए और कहा, अमीरुलमुमेनीन! अब मैं इस काम से बरी होना चाहता हूँ, अब न आपके शासनकाल में और न आपके बाद इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करुंगा, अत्यधिक सजगता और सावधानियों के बावजूद इसमें अल्लाह की पकड़ से बचाव नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि शासन की गंध–दुर्गध से स्वयं को बचाये रखूं, लेकिन एक ईसाई के लिए मुंह से निकल ही गया कि अल्लाह तुझे अपमानित करे।

हज़रत उमैर रज़ि0 ने अपनी बात कह कर हज़रत उमर रज़ि0 से आज्ञा चाही और घर को चल पड़े जो मदीना से बड़ी दूर था।

हज़रत उमर रज़ि0 ने उनके जाने के बाद एक आदमी को सौ दीनार देकर उनके यहाँ भेजा। वह आदमी जब हज़रत उमैर रज़ि0 के घर पहुंचा तो वह दीवार से टेक लगाए अपने कुर्ते से जुएं साफ कर रहे थे, मेहमान को देखकर बोले, आइये बैठिए, कहां से तशरीफ ला रहे हैं? अजनबी मेहमान ने कहा, मदीने से आ रहा हूँ। हज़रत उमैर रज़ि0 ने अमीरुलमुमेनीन हज़रत उमर रज़ि0 के बारे में पूछा, अजनबी ने कहा कुशल हैं, अल्लाह के कानून को लागू करने में बिजी हैं। ये सुनकर हज़रत उमैर रज़ि0 के मुँह से दुआ निकली कि ऐ अल्लाह! उमर की मदद कर, वह तेरी मुहब्बत में बड़े सख्त हैं।

तीन दिन तक भेजा हुआ मेहमान हज़रत उमैर रज़ि0 के घर ठहरा रहा। उनके घर की दशा ये थी कि बड़ी जतन से एक रोटी अथवा टिकिया नसीब होती, जिसे मेहमान के सामने रख देते और स्वयं भूखे रहते। जब मेहमान ने उनकी ये दयनीय स्थिति देखी तो सौ दीनार निकाल कर पेश किया और कहा, ये दीनार अमीरुल–मुमेनीन ने अपके खर्चे के लिए दिये हैं। लेकिन रूपये–पैसों को अपनी ठोकरों पर रखने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहचरों में से एक हज़रत उमैर रज़ि0 के स्वाभिमान ने ये गवारा न किया कि इस दीनार की थैली को स्वीकार करें। कहने लगे, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, और तुरन्त निर्धनों, अनाथों और दुखियारों में वह समस्त दीनार बाँट डाले।

हज़रत उमैर रज़ि0 की इस दरिद्रता के बावजूद निर्धनों और अनाथों में खुले हाथों से खर्च ने मेहमान को बड़ी हैरत में डाला। अतः वह लौटकर मदीने पहुंचा और हज़रत उमर रज़ि0 को सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

हज़रत उमर रज़ि0 को उनकी आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण मिला तो उन्हें मदीने बुला भेजा। जब वह उनके पास पहुंचे तो उनके समक्ष राशन–पानी की बड़ी मात्रा और कपड़े पेश किये। लेकिन उन्होंने खाद सामग्री लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि कोई ज़रूरत

शेष पृष्ठ..... 30 पर

रहन-सहन में इस्लामी हिदायात

—इदारा

इस्लाम ने ज़िन्दगी के तमाम अहम मौकों के लिए हिदायात दी हैं, बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने के पश्चात तक की हिदायात हैं, जिनका लिहाज़ करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उन हिदायात (निर्देशों) में कुछ तो फर्ज़ (अनिवार्यता) का दरजा रखती हैं तो कुछ सुन्नत और मुस्तहब का तो कुछ इस्लामी शिआर का दरजा रखती हैं।

बच्चे की पैदाइश के वक्त आज के इस तरक्की के दौर में जो कुछ हो रहा है वह सबका सब ठीक नहीं है, बे ज़रूरत, बे पर्दगी से बचना चाहिए, अस्पतालों में जो मजबूरन बे पर्दगी हो जाती है अल्लाह उसे मुआफ करने वाला है।

जब बच्चे की नाल कट जाए, नहला–धुला कर साफ कर लिया जाए तो उसके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कहना मस्नून है। यह सुन्नत किसी मर्द की जानिब से अदा होना चाहिये। अगर मर्द न मिले तो यह सुन्नत औरत भी अदा कर सकती है। फिर कोई नेक सालेह नमाज़ी शख़्स, जो पान–तम्बाकू से परहेज़ करता हो, अपने मुंह में एक खजूर या छुहारा ख़ूब चबा कर कर बच्चे के मुंह में दे, यह भी सुन्नत है, अगर कोई बुजुर्ग मौजूद न हो तो माँ या घर की कोई नेक नमाज़ी औरत यह सुन्नत अदा कर सकती है। इस को तहनीक कहते हैं।

बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पूरा जिस्म एक चिकने लुआब से तर होता है, उस की सफाई का कदीम तरीका भी खास था और जदीद तरीका भी खास है, बच्चे की इस सफाई और नाल वगैरह काटे जाने के सिलसिले में कोई शरई हिदायत नहीं पाई जाती, इसके मुआशरती उर्फ़ (समाजी रवाज) पर इकतिफा किया है। अब अगर कोई उज़्र न हो तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, कोई उज़्र हो तो किसी दूसरी औरत से भी दूध पिलवाया जा सकता है, अगर इस सिलसिले में उजरत देनी पड़े तो इसे बाप अदा करेगा। बच्चा–बच्ची अपनी माँ का दूध पिये या दूसरी औरत का दूध पिये, दो साल से ज़्यादा औरत का दूध पीना मना है। डिब्बे का दूध या किसी हलाल जानवर का दूध चाहे जब तक पिये। बच्चे की देख–रेख, नहलाना–धुलाना, लिबास बगैरह तमाम जरूरियात की तफ्सीलात के सिलसिले में भी उर्फ (रवाज) पर इकतिफा किया गया है।

बच्चे की पैदाइश के बाद माँ नापाक समझी जाती है, उसको उस नापाकी में नमाज़ मुआफ है, रोज़ा नहीं रख सकती, मगर रमज़ान के रोजे मुआफ नहीं, पाकी के बाद पूरे करने पड़ेंगे।

इस नापाकी की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत चालीस दिन है। अस्ल में पैदाइश के बाद औरत को खून आता है, यह खून जब भी बन्द हो जाए औरत नहा ले, बस पाक हो गई इस खून के बन्द होने की कम से कम कोई मुद्दत नहीं, इस खून को निफ़ास का खून कहते हैं। चालीस दिन के बाद भी यह खून आए तो वह खून निफास

का नहीं इस्तिहाज़े का खून कहलाता है, इसमें औरत नहा कर नमाज़ भी पढ़ सकती है और रोज़े भी रख सकती है, अलबत्ता यह माज़ूर कहलाएगी और हर नमाज़ के वक्त के लिए नया वुज़ू करेगी, जिस वक्त की नमाज के लिए वुज़ू करेगी उस नमाज़ के वक्त के बाकी रहने तक इस्तिहाज़े के खून से उस का वुज़ू न टूटे गा, अलबत्ता दूसरा कोई वुज़ू तोड़ने वाला सबब पैदा होगा तो वुज़ू टूट जाएगा।

बच्चा हो या बच्ची वुसअत हो तो सातवें रोज़ या उसके बाद अकीका कराना सुन्नत है, यानी बच्चे या बच्ची के सर के बाल मुँडा दिये जाएं और एक बकरा या बकरी बच्चे या बच्ची की तरफ से ज़ब्ह की जाए और उसका गोश्त खाया और खिलाया जाए, कच्चा तक्सीम करे, चाहे पका कर। इस तक्सीम में गरीबों का भी हिस्सा हो, अकीके का हिस्सा कुर्बानी के जानवर में भी लिया जा सकता है। बच्चे (लड़के) की जानिब से अगर दो छोटे जानवर ज़ब्ह हों या बड़े जानवर में दो हिस्से लिये जाएं तो बेहतर है। अगर ज़ब्ह की वुसअत न हो तो इस सुन्नत के छूटने पर इन्शाअल्लाह पकड़ न होगी।

बच्चा जब बोलने लगे और सुनसुन कर कुछ आवाज़ निकालने लगे अब्बा–अम्मा कहने लगे तो उससे अल्लाह–अल्लाह कहलाना चाहिए।

शरीअ़त ने बच्चों को अदब सिखाने की तलकीन तो की है मगर तालीम व तरबीयत में आम रवाज़ पर छोड़ा है, बस कुछ हदें जरूर बयान कर दी हैं। आप जो इल्म चाहें पढ़ाएं, जो फन चाहें सिखाएं, मगर वह इल्म जो शरीअत के खिलाफ हो न सिखाएं, जैसे जादू–टोने का इल्म, न ऐसा फन सिखाएं जो शरीअत के खिलाफ हो जैसे नाचना, बजाना वगैरह।

बच्चे–बच्चियों को ऐसा इल्म देना ज़रूरी है जिस से वह इस्लाम को जाने और इस्लाम पर काइम रहे। नसरानी, यहूदी, शीआ, क़ादियानी या बे दीन न हो जाए। हदीस में यह इशारा मिलता है कि बच्चे को सात साल की उम्र से नमाज़ का हुक्म दें और दस साल की उम्र में नमाज़ छोड़ने पर उसे सज़ा दें। इससे मालूम हुआ कि सात साल की उम्र से उसे दीन सिखाना शुरु कर दें, यहां तक कि दस साल की उम्र तक वह नमाज़ से मुतअल्लिक तमाम ज़रूरी बातें सीख चुका हो। फिर किसी और इल्म के हासिल करने से पहले माँ–बाप के लिए ज़रूरी है कि उसे कुर्आने मजीद नाज़िरा पढ़ा दें और दीन की ज़रूरी बातें या खुद सिखा दें या दूसरों से (मदरसा वगैरह भेज कर) सिखा दें।

याद रहे कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो हदीस से मुतअल्लिक़ नमाज़ छोड़ने पर उसे सज़ा दें, साथ ही लड़के का बिस्तर अलग कर दें, अब उसे भाई, बहन, माँ वगैरह के साथ एक बिस्तर पर न सोने दें। और चाहिए कि इसी उम्र से बच्चियों को पर्दा कराना शुरुअ कर दें, ताकि बालिग़ हो कर बच्ची बे पर्दा न फिरे।

बच्चे–बच्चियों को आपस में सभी मुसलमानों को सलाम करने की ताकीदी हिदायत दें। वतनी भाइयों का एहतिराम करना और अपने एख़लाक़ से उनका दिल जीत लेना भी सिखाएं। जब लड़का बालिग़ हो जाए तो उसको चाहिये कि वह अपनी रोज़ी खुद कमाने की फिक्र करे, बाप को चाहिए

कि वह उसकी मदद करे, कभी ऐसा भी होता है कि बाप के कारोबार तिजारत या ज़िराअत (खेती) वगैरह में लड़के की भी गुंजाइश निकल आती है, या फिर उसको नौकरी, मज़दूरी वगैरह करनी होती है, चाहिए कि नौकरी, मज़दूरी वगैरह में ऐसा काम न अपनाए जो ना जाइज़ हो, जैसे नाचने–गाने का पेशा। इसी तरह नाजाइज़ तिजारत से भी बचे, जैसे नशा वाली चीजों की तिजारत वगैरह।

शादी की उम्र हो जाने पर लड़का अपनी पसन्द से या वालिदैन की पसन्द से अपना निकाह करे, जवान लड़की के निकाह में माँ–बाप को भरपूर मदद करना चाहिए, किसी मजबूरी के बिना लड़की को खुद अपना शौहर न तलाश करना चाहिए, साथ ही लड़की की रज़ामन्दी के बिना माँ–बाप को लड़की की शादी न करना चाहिए। अलहम्दुलिल्लाह इस की पाबन्दी तो हमारे यहां चल रही है कि निकाह से पहले लड़की से इजाज़त ज़रूर ली जाती है। निकाह के बाद लड़के को चाहिए कि अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात खुद मुहय्या करे, लेकिन अगर मुशतरक खानदान में लड़के का बाप बेटे की बीवी के मसारिफ़ उठाता है तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन इस हाल में भी लड़के का उसकी निजी जरूरियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। कभी तालीमी मशगूलियत में जैसे एम0ए0, पी0एचडी वगैरह करने में या इन्जीनियरिंग, डॉक्टरी, एम0बी0ए0 वगैरह करने में शादी में देर हो जाती है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन जवानी दीवानी होती है, वालिदैन को नज़र रखना चाहिए कि लड़की या लड़का आज़ाद न हो जाएं।

निकाह और रुख़्सती के बाद लड़के पर वलीमा सुन्नत है, यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने दोस्तों, अजीज़ों को खुशी में खाना खिलाए।

बालिग़ हो जाने पर लड़का हो या लड़की दोनों शरीअ़त के मुकल्लफ़ हो जाते हैं, किताबों को पढ़ कर या जानकारों से मिल कर शरीअत की बातें मालूम करके उसकी पाबन्दी करें, शरीअत की कुछ अहम बातें नीचे लिखी जाती हैं। शहादत का कल्मा "मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं"। याद रखें! अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़ियामत के दिन पर और तक्दीर पर कि अच्छी हो या बुरी अल्लाह ही की तरफ से होती है। नमाज़ की पाबन्दी करें, रमज़ान के रोज़े रखें, माल हो तो उसकी ज़कात अदा करें, इस्तिताअत हो तो ज़िन्दगी में एक बार हज करें। अल्लाह तौफीक़ दे तो और अच्छे काम जो किताब व सुन्नत से साबित हों अपनाएं, खास तौर से अपने इल्म के मुताबिक़ दूसरों तक दीन पहुचाएं, जो न मालूम हो जानकारों से सीखें। क़ादियानियत, ख़ारजीयत, शीअ़त जैसे बातिल फ़िरक़ों से दूर रहें। नेक कामें मे अपना पैसा खर्च करें। दूसरों की मदद करें, अपने अच्छे अख़लाक़ से दूसरों को मुतअस्सिर करें, किसी को बुराई में मुब्तला (फंसा) देखें तो हिकमत से उसको बुराई से निकालने की कोशिश करें। दूसरों को हिकमत से अच्छे कामों का हुक्म दें। औरतें शरई पर्दा करें, मर्द दाढ़ी रखें, अपना रहन–

सहन अच्छा बनाएं। शिर्क से बचें कि मुशरिक बिना तौबा मर गया तो बक्शा न जाएगा, ऐसे गुनाहों से बहुत ज़्यादा बचें जिन का तअल्लुक़ बन्दों से हो, जैसे किसी का हक़ मार लेना किसी को बेजा तकलीफ पहुँचाना वग़ैरह कि ऐसे गुनाह तौबा से भी मुआफ नहीं होते, जब तक हक़ वाला अपना हक न पा ले, या अपना हक मुआफ़ न कर दे, चोरी डकैती, मारपीट, क़त्ल, दहशत गर्दी ऐसे ही गुनाह हैं।

जुआ, शराब, बदकारी, बद निगाही वगैरह से पूरी तरह बचें, चुग़ली, गीबत, बदगुमानी, बेसबब किसी की टोह में रहना, यह गुनाह भी ऐसे हैं जिन का बन्दों से तअल्लुक होता है यानी इनमें हक्कुल इबाद है। इनसे भी पूरी तरह बचें। सूदी कारोबार बहुत ही बुरा है और इस का तअल्लुक भी हक्कुल इबाद से है। नाच, गाना, सिनेमा वगैरह देखना भी बुरे काम हैं, इनसे भी बचें। नाजाइज़ कामों में ख़र्च करना भी गुनाह है। झूठ बोलना और झूठी गवाही देना बड़े गुनाह हैं। दीन में अपनी तरफ़ से नई बात निकालना या किसी कि निकाली हुई बिदआत को अपनाना भी गुनाह है, इन सब से बचें और अपने मुतअल्लिक़ीन को बचाएं। इस तरह ज़िन्दगी गुज़रते हुए एक दिन वह आता है जब ज़िन्दगी के दिन पूरे हो जाते हैं, उस आखिरी वक्त में एक मुसलमान की ख़्वाहिश होती है कि वह कल्मा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुख्सत हो, मगर यह सआ़दत शाज़ व नादिर (मुशकिल से किसी को) हासिल होती है। फिर यह ज़रूरी भी नहीं है, अगर ज़िन्दगी शरीअत के मुताबिक गुजरी है तो जाकनी (जान निकलने के) वक्त अगर बेहोशी या तकलीफ़ के सबब कल्मा न पढ़ पाया तो उसके इस्लाम व ईमान में किसी कमी का अन्देशा नहीं रहा, अलबत्ता जिसकी ज़िन्दगी मुसलमान होते हुए शिर्किया, कुफ़्रिया आमाल में गुजरी, अगर उसने अपने होश व हवास में तौबा करके कल्मा न पढ़ सका तो उसके लिए ज़रूर ख़तरा है, फिर भी अगर किसी के आखिर वक्त में उसके पास कोई हल्की और अच्छी आवाज़ में कल्मे का विर्द करे और अगर जाने वाले के मुंह से भी कल्मा अदा हो जाए तो यह बड़ी सआदत की बात होगी।

वफात (मरने) के बाद आम मुसलमानों खास तौर से मरने वाले के मुतअल्लिक़ीन पर ज़रूरी है कि उसको शरीअत के मुताबिक़ नहलाएं, कफ़न पहनाएं, फिर नमाज़े जनाज़ा पढ़ कर दफन करें, इसकी तफ्सील यहां नहीं लिखी जा रही है, जानकारों से मालूम करें या किताबें में पढ़ें।

मरने के बाद और दफ्न के बाद चाहिए कि मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करें कि यह किताब व सुन्नत से साबित है, यह भी जाइज़ है कि कोई नेक काम करके अल्लाह तआला से दुआ करें कि इस का सवाब मरने वाले कि रूह को बख़्श दीजिए और उसकी मग़फिरत फ़रमा दीजिए। इसी को ईसाले सवाब कहते हैं, अवाम इसको फातिहा देना कहती है। मगर याद रहे! यह काम फर्ज़–वाजिब नहीं है।

यह भी मालूम रहे कि मरने वाला अगर दफ्न हुआ है तो उसको कब्र में या जैसे भी मरा हो उसकी रूह से मुनकर नकीर (नकीरैन) तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और अल्लाह के बारे में पूछते हैं कि इनके बारे में तू क्या कहता है? जिस का ख़ातिमा ईमान पर हुआ

होगा वह सही जवाब देगा और उसके लिए कब्र आराम की जगह होगी, लेकिन जिस का ईमान पर ख़ातिमा नहीं हुआ, वह जवाब न दे सकेगा, उसको कब्र में अज़ाब होगा।

चाहिए कि मोमिन जब कब्रिस्तान जाए, कब्र वालों को सलाम करे, उनके लिए दुआए मग़फिरत करे, चाहे वह आम मुसलमान की क़ब्र हो या किसी सालेह बुज़ुर्ग की। क़ब्र पर चढ़ावा चढ़ाना, चादर चढ़ाना साहिबे कब्र से हाजतें मांगना इस्लाम में मना है। दुआ सिर्फ़ अल्लाह से करे।

याद रहे क़ब्र की ज़िन्दगी बहुत ही लम्बी है, लेकिन जब कियामत आएगी और दूसरे सूर पर क़ब्र से लोग उठेंगे तो यह लम्बा वक्त थोड़ी देर का मालूम होगा, फिर मैदाने हश्र में हिसाब व किताब होगा, ईमान वाले जन्नत में दाखिल किये जाएंगे, जहां वह हमेशा रहेंगे। जन्नत में हर तरह का इनआम होगा, और बड़ा इन्आम अल्लाह का दीदार होगा। काफिर व मुशरिक जहन्नम में डाले जाएंगें, जहां बहुत सा अजाब होगा। कुछ मुसलमान भी अपने गुनाहों के सबब वक्ती तौर पर जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन वह अपनी सज़ा भुगत कर या अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी नेक बन्दे की सिफारिश से जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचाए जाएंगे।

रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतंव व फिल आखिरति हसनतंव व क़िना अज़ाबन्नार। इस मज़मून (लेख) में ज़िन्दगी की बहुत सी अहम और ज़रूरी बातों का ज़िक्र किया गया है, लेकिन ज़िन्दगी की सारी ज़रूरी बातें किसी छोटे मज़मून में नहीं लिखी जा सकतीं। चाहिए कि ज़रूरत पर जानकारों से मालूम कर के अमल करें। सच्चा राही में भी सवाल भेज कर ज़रूरी बातें मालूम कर सकते हैं।

❖❖❖

कुर्आन में मूल्यों की शिक्षा.....

धर्म प्रचार, धार्मिक स्वतन्त्रता, नैतिक उपदेश में शान्ति के मूल्य को स्थापित किया गया। "धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है"। (कुर्आन 2/256)

आर्थिक समानता के तथ्य को भी कुर्आन प्रस्तुत करता है कि मनुष्यों के बीच धन के वितरण में पूर्ण समानता सम्भव नहीं है।

"वही है जिसने तुम्हें धरती में प्रतिनिधि बनाया और तुममें से कुछ लोगों को कुछ अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उच्च दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया गया है उसमें तुम्हारी परीक्षा करे।"

(कुर्आन 6/165)

कुर्आन निर्देशित करता है कि कुछ लोगों को किन्हीं कारणों से जो अधिक साधन उपलब्ध हैं उस पर ईर्ष्या से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक व बौद्धिक शक्तियां भिन्न-भिन्न हैं, हरेक की परिस्थितियां अगल-अलग होती हैं, जब इन चीज़ों में बराबरी नहीं तो धन के वितरण में बराबरी कैसे सम्भव है?

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुर्आन में जीवन मूल्यों की प्रत्येक क्षेत्र में भरमार है। कुर्आन मानवीय जीवन सत्य और न्याय के आधार पर दैवी संज्ञान का वास्तविक स्रोत है।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः महरे फ़ातिमी क्या है? समझाइये।

उत्तरः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी बेटी हज़रते फ़ातिमा रज़ि0 का निकाह जिस महर पर हज़रत अली रज़ि0 से किया, उसको महरे फ़ातिमी कहते हैं, उसकी तीन रिवायात मिलती हैं। 48 दिरहम चाँदी और 400 मिसक़ाल चाँदी, यह दोनों रिवायतें तारीख़ुल ख़मीस में लिखी हैं। मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ़ रह0 ने जवाहिरुल फ़िक़्ह में एक दिरहम 25.20 रत्ती और मिसक़ाल को 36 रत्ती के बराबर लिखा है। इस हिसाब से 480 दिरहम, 126 तोला के बराबर होंगे। ग्राम में इन का वज़न 1 किलो चार सौ सत्तर ग्राम (1470 ग्राम) होगा और चार सौ मिसक़ाल एक सौ पचास तोला के बराबर हुआ जो ग्राम में एक किलो सात सो पचास ग्राम (1750 ग्राम) होंगे, तीसरी रिवायत में पाँच सौ दिरहम महरे फ़ातिमी बताया गया है, पाँच सौ दिरहम 131 तोला 3 माशा के बराबर होते हैं। ग्राम में इन का वज़न एक किलो ग्राम पाँच सौ तीस या पाँच सौ इकत्तीस ग्राम (1531 ग्राम) होगा, बाज़ार में क़ीमत घटती–बढ़ती रहती है, जब अदा करें बाज़ार के भाव से कीमत लगवा लें। चाहिए कि जब महरे फ़तिमी रखें तो एक हज़ार सात सौ पचास ग्राम या एक हज़ार चार सौ सत्तर ग्राम चाँदी में से किसी एक का ज़िक्र ज़रूर करें ताकि अदायगी में झगड़ा न निकले।

प्रश्नः आज कल निकाह में महरे फातिमी मुकर्रर करना बेहतर है या शौहर की हैसियत के मुताबिक महर मुकर्रर किया जाए?

उत्तरः इस्लामी शरअ की रू से शौहर की आमदनी और बीवी के खानदानी महर की रिआयत करते हुए महर मुकर्रर करना ज़्यादा बेहतर है, महरे फातिमी रखना जरूरी नहीं है, अलबत्ता अगर खानदाने नुबूव्वत के इत्तिबाअ़ के जज़्बे से महरे फातिमी रखता हो तो उस का सवाब यकीनन मिलेगा, और फरीकैन के लिए बाइसे रहमत व बरकत होगा।

प्रश्नः अगर कोई शख्स अपने महर की अदायगी जेवरात की शक्ल में करे तो उससे महर अदा हो जाएगा या नहीं?

उत्तरः निकाह के वक्त जो महर मुकर्रर हो उस रकम के बकद्र सोने या चाँदी का तअय्युन (निर्धारण) अगर उसी वक्त हो और सोने की अदाएगी ज़ेवरात की शक्ल में महर की सराहत के साथ हो तो उससे महर अदा हो जाएगा। सोने चाँदी की हैसियत मौजूदा नोटों से कहीं ज़्यादा है, इसलिए अगर शौहर बीवी को महर की अदायगी में सोने–चाँदे के जेवरात या सोना–चाँदी पेश करता है तो बहर हाल महर अदा हो जाएगा।

प्रश्नः लड़के की हैसियत से ज़्यादा महर बांधना और फ़ख के तौर पर ऐसा करना कैसा है?

उत्तरः लड़के की हैसियत से ज़्यादा महर मुकर्रर करने से महर तो हो जाएगा लेकिन ज़्यादा महर मुकर्रर करना शरअ़ इस्लामी में पसन्दीदा नहीं है, और फ़ख के तौर पर ऐसा करना मना है, चुनांचि हज़रत

उमर रज़ि0 ने एक मौके पर खिताब फरमाते हुए फरमाया "ख़बर दार! औरतों के महर में ज़्यादती न करो, और यह दुनिया में इज़्जत और अल्लाह के नजदीक तक्वे की बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारे मुकाबले में इसके ज़्यादा मुस्तहिक थे। (मिशकात 2/277) इस रिवायत से मालूम हुआ कि हैसियत से ज़्यादा महर मुकर्रर करना शरीअत में पसन्दीदा नहीं है।

प्रश्नः अगर बीवी अपनी ज़िन्दगी में महर मुआफ कर दे तो महर शौहर के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा या नहीं?

उत्तरः अगर बीवी अपनी हयात में बहालते सेहत मरजुलमौत से पहले महर मुआफ कर दे तो शौहर के ज़िम्मे से महर साक़ित हो जाएगा।

प्रश्नः औरत अगर किसी तहरीक और दबाव के बिना अपनी खुशी से महर मुआफ कर दे, फिर कुछ दिनों के बाद ना खुश हो कर महर की मुआफी से इन्कार करदे तो ऐसी सूरत में शरीअ़त में मुताबिक़ महर मुआफ हो गया या नहीं?

उत्तरः जब औरत अपनी खुशी से महर मुआफ करदे तो दियानतन (सच यह है) महर मुआफ हो जाएगा, यानी अगर शौहर महर अदा न करे तो अल्लाह के यहाँ पूछ न होगी और पकड़ न होगी, लेकिन अगर औरत काजी के यहाँ महर के लिए दावा करेगी तो महर मुआफ होने के लिए शौहर को शरअी सुबूत देना होगा, इसके बिना अदालत से महर मुआफ न होगा।

प्रश्नः अगर कोई औरत अपना महर मुआफ कर दे लेकिन उस पर कोई गवाह या सुबूत न हो और वह बाद में तलाक हो गई, बाद तलाक़ औरत ने अदालत में महर का दावा कर दिया तो औरत के लिए ऐसा करना शरअ में कैसा है?

उत्तरः जब बीवी ने खुशी से महर मुआफ कर दिया तो महर अल्लाह के नजदीक मुआफ हो गया। अब औरत के लिए मुआफी से इन्कार करना जाइज़ नहीं, और अदालत में महर का दावा करना दुरुस्त नहीं, और बजरिअे अदालत इन्कार करके महर वसूल करना जुल्म और बड़ा गुनाह होगा।

(फतावा हिन्दिया 1/313)

प्रश्नः अगर कोई औरत शौहर से झगड़ा करके मैके चली जाए और शौहर के बराबर बुलाने पर भी न आए तो क्या नफका और महर शौहर के जिम्मे रहेगा या साक़ित हो जाएगा?

उत्तरः अगर औरत नाफरमानी करके मैके चली जाए और बुलाने पर भी न आए तो नफका शौहर के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, लेकिन महर साक़ित नहीं होगा, और जब बीवी शौहर के घर आ जाएगी तो नफके की मुस्तहिक होगी।

(फतावा हिन्दिया 1/545)

प्रश्नः अगर कोई औरत तलाक के बाद महर मुआफ करदे तो क्या महर की मुआफी हो जाएगी? जब कि यह औरत अब उस शख्स की बीवी नहीं रही।

उत्तरः तलाक़ के बाद भी अगर औरत महर मुआफ करती है तो महर मुआफ हो जाएगा, यह ऐसे ही है जैसे कि किसी अजनबी मर्द के जिम्मे किसी औरत का कर्ज़ हो और वह मुआ़फ करदे तो क़र्ज़ मुआफ हो जाएगा, महर भी शौहर के ज़िम्मे कर्ज़ है, इसलिए तलाक के बाद भी उसको मुआफ़ करने का हक है, और मुआफ़ कर देने से मुआफ हो जाएगा।

(दुर्रुलमुख्तार)

प्रश्नः अगर बीवी ने महर मुआफ़ न किया हो और शौहर कि तरफ से महर अदा भी न किया

गया हो और औरत का उसी हाल में इन्तिक़ाल हो जाए तो महर का क्या होगा? जब कि शौहर पर वाजिब है।

उत्तरः यह महर मरहूमा बीवी का कर्जा करार दिया जाएगा और शरई हिस्सों के मुताबिक़ वरसा के बीच बाँटा जाएगा। (दुर्रुल मुख्तार)

प्रश्नः शौहर अगर महर इकट्ठा अदा न कर पा रहा हो तो किस्तों में अदा कर सकता है?

उत्तरः बीवी की इजाजत से महर किस्तवार भी अदा किया जा सकता है। (अलबहरुर्राइक़)

प्रश्नः जिस औरत के शौहर का इन्तिक़ाल हो जाए तो वह औरत इद्दत कहाँ गुज़ारेगी? शौहर के घर में या मैके में?

उत्तरः मरहूम शौहर का जो मकान हो, बीवी उसी में इद्दत गुज़ारेगी, यह हुक्म कुर्आन और हदीस से ताकीदी तौर पर साबित है, इसलिए इसी पर अमल करना चाहिए, अलबत्ता वहाँ इद्दत गुज़ारने में दुश्वारी हो, मसलन जान व माल या इज्जत व आबरू को खतरा हो या किराये का मकान हो , खुद किराया अदा करने पर कादिर न हो तो अकेले में वह इद्दत गुजारने के लिए अपने मैके में, जा सकती है। (रद्दुल मुख्तार)

प्रश्नः जो औरत वफात की इद्दत गुजार रही हो और वह मुलाजिम हो तो क्या ड्यूटी अंजाम देने के लिए बाहर जा सकती है?

उत्तरः अगर नान व नफ्क़े (रोटी, कपड़े) का इन्तिजाम न हो औरत की मुलाजमत ही पर उसका इनहिसार हो तो दिन में मुलाजमत पर जा सकती है, फुकहा ने कस्बे मआश की गरज़ से दिन में बाहर जाने की इज़ाजत दी है।

प्रश्नः अगर कोई औरत तलाक की इद्दत गुजार रही हो और शौहर इद्दत का खर्च देने के लिए तैयार न हो तो ऐसी सूरत में क्या औरत अपने इख़राजात पूरे करने के लिए बाहर जा सकती है?

उत्तरः तलाक़ की इद्दत गुज़ारने वाली औरत का नाम व नफ्क़ा उसके शौहर पर वाजिब है, इसलिए शौहर इस ज़िम्मेदारी को पूरी करे, लेकिन अगर वह इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता या वह इस काबिल ही नहीं है कि इख़राजात दे सके और रिश्तेदार भी इख़राजात देने को तैयार नहीं है तो ऐसी मजबूरी में कस्बेमआश की गरज़ से बाहर दिन में जा सकती है।

प्रश्नः इद्दत गुज़ारने वाली औरत की तबियत अगर खराब हो जाए तो वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकती है या नहीं?

उत्तरः अगर डॉक्टर को बुलाकर दिखाना न हो सके या औरत सख़्त बीमार हो तो इलाज की मजबूरी की वजह से डॉक्टर के पास ले जाने या अस्पताल में दाखिल करने की इजाज़त होगी। (रद्दुल मुहतार)

प्रश्नः एक शख्स वतने असली से दूर मुलाज़मत की गरज से एक शहर में अहलो अयाल के साथ मुकीम था, वहीं उसका इन्तिक़ाल हो गया, लाश वतने अस्ली लाई गई तो बीवी भी लाश के साथ वतने अस्ली आ गई, अब सवाल यह है कि वह औरत इद्दत कहां गुजारेगी, उसी शहर में जहां शौहर के साथ रहती थी या वतने अस्ली में, जहां अब पहुंच चुकी है और रिश्तेदार भी साथ हों?

उत्तरः शरई उसूल के मुताबिक़ उस शख्स की तदफीन वहीं होनी चाहिए थी जहां इन्तिक़ाल हुआ और औरत वहीं इद्दत गुजारती, लेकिन अब चूंकि वतने अस्ली पहुंच चुकी है

इसलिए अब सफर की ज़रूरत नहीं, अपने वतन ही में इद्दत पूरी करेगी। (रद्दुल मुहतार)

प्रश्नः एक लड़की की शादी हुई, अभी रुख़्सती नहीं हुई थी और मियां–बीवी की मुलाकात भी नहीं हुई थी कि दोनों के बीच किसी बात पर तफरीक हो गई, क्या उस लड़की पर इद्दत गुजारना ज़रूरी है?

उत्तरः जब लड़की शौहर के यहां नहीं गई और न मियाँ–बीवी के बीच तन्हाई हुई तो उस पर इद्दत नहीं है।

सूर–ए–अहजाब)

प्रश्नः एक औरत हम्ल (गर्भ) से थी कि शौहर ने झगड़े के बीच तलाक़ दे दी, औरत ने चन्द दिनों के बाद इस्काते हम्ल (गर्भपात) करा लिया तो अब क्या इस पर इद्दत है या नहीं?

उत्तरः औरत ने इस्काते हम्ल का इक्दाम ग़लत किया है, उस की वजह से गुनहगार हुई, लिहाजा तौबा व इस्तिग़फार लाज़िम है, लेकिन अब चूंकि हम्ल साकित हो चुका है इसलिए इद्दत खत्म हो गई।

(फतावा हिन्दिया)

प्रश्नः एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे दी तो अब औरत इद्दत कहां गुज़ारेगी, जब कि शौहर का घर तंग है, बे पर्दगी का इम्कान है, बल्कि शौहर के फिस्क़ व फुजूर में मुब्तला रहने की वजह से इख्तिलात का खतरा है, क्या ऐसी सूरत में वह मैके जा सकती है?

उत्तरः जिस औरत को शौहर ने तीन तलाकें दे दी हैं वह शौहर पर हराम हो चुकी है, और शौहर के हक़ में एक अजनबी औरत की तरह है। इसलिए उसे इद्दत का ज़माना ऐसी जगह गुज़ारना चाहिए जहाँ शौहर की आमद व रफ्त और मिलना जुलना न हो सकता हो, मज़कूरा सूरत में जब कि इख्तिलात और गुनाह में मुबतला होने का कवी अन्देशा है तो औरत के लिए बेहतर यह है कि वह मैके में इद्दत गुज़ारे। (दुर्रुलमुख्तार)

प्रश्नः मियाँ–बीवी कई साल तक साथ रहे, आपस में कुछ रंजिश हो गई जिसकी वजह से औरत मैके चली गई और दो साल से दोनों में मुलाकात नहीं हुई, इसी जुदाई के ज़माने में शौहर ने तलाक़ दी तो क्या इस औरत पर इद्दत वाजिब है? जब कि दो साल से मियाँ–बीवी की आपस में मुलाकात नहीं हुई, और दोनों अलग–अलग रहे, क्या इस सूरत में इद्दत साक़ित नहीं होगी?

उत्तरः निकाह के बाद जब मियाँ–बीवी एक साथ रह चुके हैं अगर्चि अब दो साल से अलाहिदगी है और निकाह इस दौरान बाकी रहा और अब तलाक़ हुई है तो इस औरत पर इद्दत लाजिम है, मियाँ–बीवी के एक साथ मियाँ–बीवी वाली ज़िन्दगी गुज़ार लेने के बाद अगर तलाक़ व तफरीक़ हो जाए अगर्चि बरसों दोनों जुदा रहे इद्दत साकित नहीं होगी। (दुर्रुल मुख़्तार मअ रद्दुल मुहतार 825/2)।

प्रश्नः एक शख़्स के यहाँ चोरी हुई, एक आमिल साहब अपने किसी अमल से चोर का नाम बताते हैं, उनसे इस तरह नाम निकलवा कर किसी को चोर समझना कैसा है?

उत्तरः किसी आमिल से नाम निकलवा कर ज़ाहिरी सुबूत के बिना किसी को चोर समझना नाजाइज़ और हराम है, और आमिल का इस तरह नाम निकालना और ऐसे आमिल से नाम निकलवाना दोनों हराम और नाजाइज़ है। ❑❑

लड़कियों की परवरिश करने और उन पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत

—मुहम्मद ज़ैद मज़ाहिरी नदवी

हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी (रह0) ने फरमाया, आज कल लड़कियों के पैदा हो जाने को ऐब समझा जाता है, लड़का पैदा होने से तो खुशी होती है, लड़की पैदा होने से खुशी नहीं होती। कुफ्फारे मक्का का भी यही हाल था कि लड़की की पैदाइश को बहुत बुरा समझते थे, लड़कियों को ज़िन्दा दफन कर देते थे। यही हाल आज उम्मत का हो रहा है कि लड़की की पैदाइश को मनहूस समझते हैं। हालांकि लड़कियों पर खर्च करने में जितना सवाब मिलता है लड़कों पर खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता। एक हदीस में है कि एक सहाबी ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि मेरा माल कहां खर्च हो? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी वह लड़की जो तेरी तरफ लौटा दी जाये। लड़की के बाप के पास लौटने की यही शक्ल है कि या तो वह बेवह हो जाये या मुतल्लका हो जाये, या उसका शौहर उसको अच्छी तरह न रखता हो। ऐसी हालात में बेचारी कहां जाये। अपने मैके ही तो जायेगी। अपने माँ–बाप और भाई भी उसके न होंगे तो कौन होगा।

बाज़ लोगों को देखा है कि लड़की की शादी हो जाने के बाद फिर उसके साथ लड़की जैसा सुलूक नहीं करते, उसके साथ अजनबियों जैसा बरताव करते हैं। अच्छे खासे पढ़े– लिखे दीनदार लोगों तक को उसमें मुब्तला देखा गया है। उस बेचारी के अगर भाई की बीवी से नहीं बनती तो माँ–बाप और भाई तो हैं, उनको तो ख़्याल करना चाहिए। तअज्जुब है कि वह भी नहीं ख़्याल करते।

हालांकि एक हदीस शरीफ में आया है कि जिसके यहाँ लड़की पैदा हुई उसने उसको अच्छी तरह पाला, तर्बियत की, शादी की, उसके लिए जन्नत है। वह औरत बड़ी बरकत वाली है जिसके यहाँ पहले लड़की पैदा हो।

❖❖❖

आदर्श शासक.....

नहीं, लगभग सात सेर जौ घर पर छोड़ कर आया हूँ। हां, कपड़े ले लिये और कहा कि मेरी पत्नी नंगी है, उसके पास तन ढकने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं है। इसके बाद वह अपने घर लौट आए।

कुछ दिनों बाद उनके स्वर्गवास की सूचना मिली, हज़रत उमर रज़ि0 को बड़ा सद्मा पहुंचा। अल्लाह से उनके लिए दुआएं की और पैदल कब्रिस्तान गए तथा कहा, काश! मुझे उमैर जैसा कोई आदमी मिलता, जिससे मैं मुसलमानों की सेवा करता।

❖❖❖

भूगोलशास्त्री ज़करिया बिन मुहम्मद क़ज़्वीनी

—मौलाना सिराजुद्दीन नदवी

खलीफ़ा हारून रशीद ने जो शहर आबाद किये, उनमें से एक शहर क़ज़्वीन है। बारहवीं सदी में इस शहर की मस्जिद के इमाम और धर्मोपदेशक मुहम्मद थे। मग़रिब की नमाज़ के बाद वे धर्म का उपदेश देते। मस्जिद श्रोतागणों से खचाखच भरी रहती। एक दिन उन्होंने ज़मीन–आसमान का क्षेत्रफ़ल, पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवधारी, ज़मीन के अन्दर छिपे हुए पदार्थों और वातावरण में फैली हुई खुदा की निशानियों को पेश करते हुए खुदा की महानता का वर्णन किया। उनके छोटे लड़के ज़करिया भी यह उपदेश सुन रहे थे। बाप–बेटे जब मस्जिद से घर वापस आये तो ज़करिया ने कहा– "अब्बू जान! आज आपके उपदेश ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया है। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि कायनात में फैली हुई खुदा की अज़मतों का पता लगाऊंगा।"

पिता ने बेटे को समझाया कि यह काम बहुत मुश्किल है। दार्शनिकों, तर्कशास्त्रियों और उलमा में से कोई भी आज तक यह काम अंजाम न दे सका। इसके बारे में मालूम करने के लिए तुम्हें गणित, भूगोल, खगोल, अंतरिक्ष और भूगर्भशास्त्र के बारे मे पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करना होगा।

ज़करिया बिन मुहम्मद क़ज़्वीनी का यह मामूल बन गया कि जब वे दिन में बकरियां चराने जाते तो बकरियों को चरागाह में छोड़ कर कुर्आन हिफ़्ज़ करने बैठ जाते। उन्होंने बहुत जल्द क़ुर्आन पाक याद कर लिया। अब उन्होंने हदीसों की तरफ़ ध्यान दिया। मुअत्ता इमाम मालिक का अध्ययन प्रारम्भ किया और एक वर्ष के अन्दर ही मुअत्ता इमाम मालिक को ज़ुबानी याद कर लिया। क़ुर्आन की व्याख्या, हदीस, इस्लामी धर्मशास्त्र में महारत हासिल कर लेने के बाद ज़करिया ने सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। उन दिनों मुग़लों के हमले और अफ़वाहें बहुत तेज़ी के साथ क़ज़्वीन में फैल रही थीं। अतः ज़करिया के पिता अपने पूरे परिवार के साथ बग़दाद आ गये।

बग़दाद पहुंचकर ज़करिया को अपनी आरज़ू पूरी होती नज़र आयी। यहां हर कला व शास्त्र के विद्वान मौजूद थे। बेतुलहिकमा में रोम, यूनान, ईरान और हिन्दुस्तान की सभी उल्लेखनीय किताबें मौजूद थीं। बग़दाद में ज़करिया "क़ज़्वीनी" के लक़ब से मशहूर हो गये। उन्हें इस्लामी धर्मशास्त्र और धार्मिक ज्ञान में महारत हासिल थी, इसलिए उन्हें राज्य की ओर से जज का पद पेश किया गया, मगर उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया कि उन्हें भूगोल, अंतरिक्ष, खगोलशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र और खनिजशास्त्र इत्यादि के सिलसिले में पूरी जानकारी की ज़रूरत है। वे विश्व के हर पहाड़, समुद्र, नदी और शहर के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते हैं। वे ज़मीन पर आबाद क़ौमों, हर प्रकार के जीव–जन्तुओं, कीड़े मकोड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

वे ग्रहों, नक्षत्रों और उनके मार्गों का पता लगाना चाहते हैं।

उन्होंने यूनानी दार्शनिक अरस्तू, बल्लेमूस आदि और इस्लामी विद्वान अलबेरूनी, इब्नुल हैसम, इब्ने सीना की किताबों का अध्ययन किया, मगर इन विषयों पर कोई ठोस जानकारी प्राप्त न हो सकी। इन किताबों से उन्हें जो थोड़ी बहुत जानकरी मिली, उन सबको एक जगह क्रमवार जमा करना शुरु किया। वे जानकारी को लिखते समय अपनी राय व विश्लेषण ज़रूर लिखते। इस तरह उन्होंने तमाम मख़्लूक़ात के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली।

उन्होंने घूम–घूम कर दुनिया को क़रीब से देख कर अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए देशाटन का प्रोग्राम बनाया। एक ख़च्चर पर किताबें और ज़रूरी सामान लादा और एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। क़ज़्वीनी ने दस वर्ष घूमने– फिरने में बिता दिये। ईरान के अनेक इलाके खुरासान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्की, ख़्वारिज़्म, आरमीनिया, आज़रबाईजान इत्यादि देशों की सैर की। उन्होंने हर ज़रूरी चीज़ को नोट किया। हर देश और शहर के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां इकट्ठा कीं।

दस वर्ष के बाद क़ज़्वीनी बग़दाद वापस पहुंचे तो उन्हें यह ख़बर मिली कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। अब घर की आर्थिक ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर था। अतः इस बार उन्होंने क़ाज़ी का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने शादी कर ली और शानदार भवन में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।

दिन में वे राज्य व घर की ज़िम्मेदारियों को अदा करते और रात की तन्हाई में चिराग़ के सामने बैठ कर घण्टों लिखते रहते। अतंतः 15 साल की अवधि में उनकी अनमोल किताब "अजायबुल मख़्लूक़ात व ग़रायबुल मौजूदात" पूरी हुई, जो बहुत ही लोकप्रिय व मशहूर हुई।

क़ज़्वीनी के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा "अजायबुल मख़्लूक़ात व ग़रायबुल मौजूदात" नाम की किताब की रचना है, इस किताब ने अपनी आधुनिक मालूमात के आधार पर इतनी शोहरत प्राप्त की जो किसी दूसरी किताब को प्राप्त न हो सकी।

क़ज़्वीनी ने यह भी खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है और उसी के द्वारा ऋतु परिवर्तन होता है।

क़ज़्वीनी ने यह भी बताया कि चाँद व पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी खोज की कि ज़मीन व चाँद तो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, मगर सूरज भी घूम रहा है, सूरज स्थिर नहीं है।

क़ज़्वीनी ने बताया कि आसमान अपने तारों के साथ उत्तरी भाग में जैसा दिखायी देता है, दक्षिणी भाग में उसके ठीक विपरीत दिखलायी देता है।

क़ज़्वीनी ने बताया कि पृथ्वी के अन्दर सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, पीतल, पारा, तेल, तारकोल आदि छुपे हुए हैं। । उन्होंने यह भी बताया कि बीते ज़माने के साथ यह चीज़ें किस तरह बनती और बिगड़ती हैं। उन्होंने भूकंप और ज्वालामुखी की वास्तविकता के

शेष पृष्ठ..... 37 पर

आधुनिक समस्याओं का इस्लामी समाधान

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

इस्लाम इन्सानियत और एअ़तिदाल (बीच की राह वाला) मज़हब है। अपने मानने वालों से इस की मांग यह है कि वह इन्सान रहते हुए हर तरह की बेराहरवी, भ्रष्टाचार, आचरण की कोताही से अपने को पाक व साफ रखे, लेकिन उनसे यह मुतालबा नहीं कि वह बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं कि न तो उनको भूख लगे और न उनके दिल में गुनाह का कुछ भी ख़्याल गुज़रे, इसी तरह उनको इस की इजाज़त भी नहीं कि वह बे गैरत हो कर पशुता पर उतर जाएं, बे वजह की चाहतों के पीछे चलने लगें और बे नकेल के ऊँट की तरह आवारा फिरें कि खाने–पीने और अपनी जानवरों जैसी चाहतों के पूरा करने के सिवा कोई दूसरा ज़िन्दगी का मकसद ही न हो, उनको दोनों के बीच, बीच की राह बताई गई है। और यही उनके दीन की विशेषता है। और उसी की वज़ाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कौल (कथन) से होती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने चन्द अस्हाब के बारे में मालूम हुआ कि उनमें से एक ने अपने ऊपर यह अनिवार्य कर लिया है कि रात भर अल्लाह की इबादत करेंगे। दूसरे ने यह जरूरी कर लिया है कि वह पूरी ज़िन्दगी रोज़ा रखेंगे, और तीसरे ने यह प्रण कर लिया है कि शादी ही नहीं करेंगे और अपनी मानवीय मांगों को पूरी न करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला हूँ, लेकिन याद रखो! मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और बिना रोज़े के भी दिन बिताता हूँ, मेरे निकाह में बीवियाँ भी हैं।

एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बात फरमाई, दूसरी तरफ रिवायात यह बात भी बताती हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चन्द अस्हाब के पास बैठे हुए थे और ख्वाहिश के मुताबिक खाना भी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, यह ऐसी नेमत है कि इसके मुतअल्लिक़ कियामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशारा वास्तव में कुर्आन करीम की आयत अनुवादः "फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में ज़रूर पूछे जाओगे" की तरफ था। (अत्तकासुर)

तारीख़ गवाह है कि जब कभी भी इन्सान बीच की राह से हटा तो वह फसाद और खराबी का शिकार हुआ, चुनांचि यूरोप अपने तारीक दौर में ज़बरदस्त किस्म की रहबानियत (सन्यास) का शिकार हुआ, जिसमें लोग रूहानी तरक्की (आध्यात्मिक उन्नति) के लिए अपनी फ़ितरी और इन्सानी चाहतों को भी कुचल डालते थे, लेकिन फिर भी बन्दगी और पाकीज़गी (पवित्रता) की राह में बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके और इस तरह से

कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, चाहे इन्सान फरिश्तों की नक़ल करने लगे, जिसमें उसे खाने–पीने गुस्ल करने और दवा इलाज की ज़रूरत न पड़े। हक़ तो यह है कि इन्सान रहते हुए इन्सान के हाथ से तक्वा (संयम) का दामन न छूटे और उसका इन्सानी शऊर (चेतना) इस हद तक बेदार हो कि उसे इन्सानी ज़रूरतों, कमज़ोरियों, राहतो आराम और आफ़तों मुसीबत का इल्म (ज्ञान) हो। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के हुकूक़ से भी वाकिफ़ (परिचित) हो। अपनी और मुआशरा (समाज) के लोगों की इन्सानी ज़रूरतों का एहसास और शऊर (जानकारी) भी रखता हो। दूसरी बात यह है कि आख़िरत (परलोक) की कामयाबी की तलब हो। अच्छे कामों के द्वारा अपने रब को राज़ी करने का तरीक़ा हो, इसलिए कि आखिरत की भलाई और कामयाबी की चाहत उसको सरकशी (उद्दण्डता) और बेराह रवी से रोके रखेगी और दुनियवी वसाइल (साधनों) जो ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी हैं उसको रहबानियत (सन्यास) के गड्ढ़े में गिरने से बचाए रखेंगे।

चूंकि पहले कभी युरोप ज़बरदस्त क़िस्म की रहबानियत और सन्यास का शिकार हो चुका है, जिसमें उसने अपने को दुनियावी नेअ़मतों से महरूम कर लिया था, फिर बाद में आँखें बन्द करके दुनियावी सामान, आराइश व ज़ेबाइश के पीछे पड़ गया, जिसके नतीजे में माद्दीयत (भौतिकता) के दलदल और ख़्वाहिशात (कामनाओं) के जंगल में फंसा हुआ है, लिहाज़ा अब तक यूरोप के दो मुतज़ाद तजुर्बों (प्रतिकूल अनुभवों) से गुज़रना पड़ा है। अब इसे एतिदाल (बीच की राह) के तजुर्बे की ज़रूरत है और यह तजुर्बा इस्लाम के अलावा कहीं और हासिल नहीं हो सकता। इस सिलसिले में बड़ी ज़िम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर है कि वह यूरोप में इस्लाम की सही तर्जुमानी करें अर्थात शुद्ध इस्लाम पहुंचाएं और उसका हकीक़ी तआ़रुफ (वास्तविक परिचय) दुनिया के सामने पेश करें कि इन्सानियत के साथ उसने क्या सुलूक किया, इन्सानियत पर उसके क्या एहसानात हैं उसको उजागर करें, लेकिन यह बातें मुसलमानों के लिए जब ही मुम्किन हो सकती हैं कि वह खुद भी सही इस्लामी अख़लाक़ (आचरण) रखते हों, उनमें किसी तरह की कमी या ज़्यादती न हो, उनके लिए बल्कि हर सुधारक के लिए यह ज़रूरी है कि वह ग़ैर मुस्लिमों के सामने सच्चा इन्सानी व इस्लामी चेहरा और मुबारक इन्सानी ज़िन्दगी लेकर जाएं और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अस्हाब के अख़लाक़ व मुआमलात और उनकी पूरी ज़िन्दगी का हसीन व बेहतरीन मुरक़्क़अ़ (रूप) पेश करें।

आज यूरोप अपने ख़्वाहिशाते नफ़्सानी (काम वासनाओं) के समुद्र में डूब चुका है, अक्सर लोग दीनी व मज़हबी पाबन्दियों से आज़ाद हो कर अख़्लाक़ी पस्ती और हैवानी ज़िन्दगी में जा पड़े हैं, उसको इस वक़्त ऐसे मसीहा की ज़रूरत है जो उसे इस परेशानी से ऊपर ला सके। आज की मसीही दुनिया अपने मुलहिदाना माद्दी निज़ामे हयात (अधर्मी जीवन शैली) से तंग आ चुकी है, इसलिए कि वह बेग़रज़ाना इन्सानी जज़्बे

से खाली है, और मसीही मज़हब से उसका रब्त (सम्बन्ध) नाम मात्र का रह गया है, इसलिए कि उनमें अब किसी दीनी ख़ला (कमी) को पुर करने की सलाहियत बिलकुल नहीं रही, लिहाज़ा मसीही दुनिया हैरान व परेशान किसी दीन की खोज में है, जो उसे ज़िन्दगी की भूल भुलय्यों से निकाल कर मंज़िल की सही रहनुमाई करे, और इस की सलाहियत इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में नहीं है।

लेकिन आज कल हमारे कुछ लोग इस्लाम को ग़ैरों के सामने हमदर्दी (सहानुभूति), इन्सानियत से हट कर खुदगर्जी और नफ़रत के तरज़े अमल के तौर पर पेश कर रहे हैं, और जब तक हम इस्लाम का चेहरा नफ़रत, अदावत, मुख़ालफ़त के तौर पर पेश करते रहेंगे अर्थात इस्लामी अख़्लाक़ न पेश करेंगें तो गैरों की तरफ़ से इस्लाम से दूरी और नफ़रत के सिवा कोई जवाब न मिलेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इस्लाम को ग़ैरों के सामने एक ऐसे दीन की हैसियत से पेश करें जो उसकी (गैरों की) मौजूदा इजतिमाई (सामूहिक) और अख़्लाक़ी ज़वाल (पतन) से निकाले, क्योंकि अब सारी दुनिया की तबीअ़त उससे उक्ता चुकी है और उससे दाइमी (स्थाई) नजात चाहती है, चुनांचि अपने उन पेचीदा मसाइल (कठिन समस्याओं) का हल ढूंढने में परेशान है।

ऐसी सूरत में गैर मुस्लिम दुनिया के सामने अगर इस्लाम का सही चेहरा ज़ाहिर नहीं किया गया तो इस्लाम उनके दिलों को अपनी तरफ़ माइल करने में कामयाब नहीं हो सकता, और यह माद्दी और खुदगरजाना तौर व तरीके की दुनिया इसी तरह दर–दर की ठोकरें खाती फिरेगी। तिन्कों का सहारा लेगी और उसी से अपने दर्द का मुदावा (इलाज) करेगी। इसलिए दीन की दावत देने वाले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वह इस्लाम की तरफ बुलाने का मुनासिब तरीका इख्तियार करें, इसलिए कि दावत की तमाम तर ज़िम्मेदारी इन्हीं मुसलमानों के सर है, इरशाद है अनुवादः "तुम ऐसी भली उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो"। (कुर्आने मजीद आयत 110) लेकिन आज इस्लाम के मानने वाले मुख्तलिफ टोलियों में बंटे हुए हैं, कुछ तो वह हैं जो इस्लाम के नज़रिया (दृष्टिकोण) जंग व जिहाद ही को मानते हैं, और इस सिलसिले में सिर्फ जज़्बात और जोश से भरी हुई आवाज़ को शेवा (तरीका) बनाते हैं, वह ऐसा करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत और किरदार को नहीं देखते, दीन की मसलहत दावत की हिकमत और इत्तिबाऐ सुन्नत (सुन्नत के तरीके की पैरवी) से कोताही करते हैं। वह नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस अमल को नहीं देखते कि बाज़ मुनाफिकीन के निफाक़ को जान लेने के बाद भी उनके कत्ल से गुरेज़ किया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह ख़ालिस इस्लामी मसलहत से किया कि कहीं इस्लाम के दुश्मनों को यह कहने का मौका न मिल जाए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथ रहने वाले किसी शख़्स को क़त्ल कर दिया, इसलिए कि इस मुनाफिक के खुले निफाक को

दूसरे लोग जान नहीं सकते थे। चुनांचे इस हिकमते अमली के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम को बदनाम होने से बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने अगर किसी ने लाइलाह इल्लल्लाहु, का इकरार किया तो आप ने उसका एअ़तिबार किया। एक सहाबी को इस बात की ख़िलाफ वर्जी करने पर डांटते हुए फ़रमाया "क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था?" इससे अलग दूसरे गिरोह इस्लाम में सिर्फ अक़्ली नुक्त–ए–नज़र से पेश कर रहे हैं और उसको मग़रिबी नुक्त–ए–नज़र से मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जब कि मगरिब (पश्चिम) खुद अपने निज़ामे ज़िन्दगी से बेज़ार हो रहा है, इसलिए कि अब उसको इसमें क़ल्बी राहत और ज़िन्दगी का सुकून नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि वहां के कुछ लोग जब तब दुनियावी वसाइल वाली ज़िन्दगी को छोड़ कर तारिकुद्दुनिया (सन्यासियों) वाली ज़िन्दगी अपनाने लगते हैं। माना कि मगरिब ने खूब तरक्की की, सियासी और इक़्तिसादी, निज़ाम, असकरी कुव्वत व वसाइले मईशत और तमद्दुनी तरक़्की उरुजे कमाल को पहुंच चुकी है और उन्होंने इस माद्दी ताक़त व कुव्वत के ज़रिए अन्रूनी बेचैनी और समाजी मुशकिलात को हल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। आज मग़रिबी नौजवानों का हाल यह है कि वह अपने मसाइल के हल करने की हर तरह की कोशिश कर रहें हैं लेकिन हर तरफ से उन को नाकामी का सामना है। जिस अख़्लाकी गिरावट और कशमकश का आज मग़रिबी नौजवान शिकार है यह उसके आजाद मुआशरे का नतीजा है, जो दीन व अख़्लाक से बिल्कुल खाली है। यही उसकी बीमारी की अस्ल जड़ है, ऐसे में मग़रिब के सामने उसकी इस्लाह का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह यह है कि नबियों की तालीमात और ख़ास तौर से आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को कबूल करे, जिन की तालीमात यह है कि कायनात के पैदा करने वाले से तअल्लुक और रब्त पैदा किया जाए, जिन की दावत यह है कि बीच की राह के साथ ज़िन्दगी के असबाब अपनाएं जाएं और सामने सतह पर टूट न पड़ा जाए। और न ही रहबानियत इख़्तियार करके ज़िन्दगी की मसलहतों से मुंह मोड़ लिया जाए। अल्लाह तआला फरमाते हैं, अनुवादः "आप कहिए कि अल्लाह ने जो ज़ीनत का साज़ व सामान अपने बंदों के लिए पैदा किया है, उसको और खाने–पीने की पाकीज़ा चीज़ों को किस ने हराम कर दिया है। आप कहिए कि यह नेअमतें दुनिया की ज़िन्दगी में उन लोगों के लिए हैं जो ईमान वाले हैं और कियामत में ख़ालिस वही हकदार होंगे"। (क़ुर्आन आयत–32)। दुनियावी ज़िन्दगी के तअल्लुक से सही राय यही है कि उसके बारे में यह समझा जाए कि यह एक महदूद और खत्म होने वाली ज़िन्दगी और धोके का सामान है। लिहाज़ा भलाई और ख़ैर इसी में है कि मियानारवी के साथ इसका भी लिहाज़ किया जाए और दिल को इस दुनियावी सामान से इस तरह न बांध दिया जाए कि खोलना ही मुश्किल हो।

आज मग़रिब अपने बनाये हुए समाजी और सियासी

निज़ाम को छोड़ कर नये निज़ाम की ख़्वाहिश नहीं रखता, इसलिए कि उसने अपने नज़दीक आला किस्म के निज़ामे हयात का तजुर्बा हासिल किया है, और उसका इल्म, तहकीक़ व फ़िरासत उसके नज़दीक इन्तिहा को पहुंच चुकी है। लिहाज़ा वह किसी नये निज़ाम का ख्वाहिशमन्द नहीं, इसलिए कि उसको किसी नये निज़ाम में अपने मसाएल का हल नजर नहीं आता, अपनी माद्दी तरक़्क़ी के बावजूद आज मगरिब के दिल को चैन और कल्बी सुकून की तलाश है, जिससे उसका निज़ामे हयात दीवालिया हो चुका है। लिहाज़ा उनको दावत देने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनकी ज़िन्दगी दुनियावी सामान के इस्तेमाल में मियानारवी और तकलीद में काबिल नमूना हो।

इस सिलसिले में ज़्यादा अमली नमूना ही मुअस्सिर (प्रभावित) साबित हो सकता है, जब कि इल्मी व कौली तशरीह भी ज़रूरी है। तो क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके अस्हाब के तरीक़े को अपना कर मग़रिबी दुनिया के सामने पेश करके उनके मसाइल का हल निकालेंगे? और ख़ैरे उम्मत का फ़र्ज़ अदा करेंगे?

❑❑

भूगोलशास्त्री ज़करिया .....

बारे में भी बताया। उसी दौरान उन्होंने हलाकू ख़ान के आक्रमण के बारे में सुना। अतः क़ज़्वीनी दूसरे लोगों की तरह बग़दाद छोड़ कर दमिश्क़ चले आये। दमिश्क में बहुत सी आज़माइशों को झेलते हुए सन् 1283 ई0 में क़ज़्वीनी की मृत्यु हुई।

आज भी क़ज़्वीनी की तस्वीर के साथ बहुत सी किताबें विश्व के अनेक पुस्तकालयों में पायी जाती हैं। वाशिंगटन, पेरिस और भारत की रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में क़ज़्वीनी की किताबें मौजूद हैं।

❑❑

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना

—इदारा

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना लगभग 2948 ई0 पूर्व से 1998 ई0 पूर्व है। इस हिसाब से आपने 950 वर्ष की आयु पाई। 86 वर्ष की आयु में अर्थात 2862 ई0 पूर्व में आपके पुत्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। शुद्ध कथन के अनुसार जब आप 15 वर्ष के हो गये अर्थात 2847 ई0 पूर्व में ज़ब्ह की घटना घटी।

(तफसीरे माजिदी सूरः अनआम, आयत नं0 83 की तफसीर देखिये)

क़ब्र, बरज़ख़ और हश्र

—इदारा

कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं
जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं
हाथ में और पाँव में वह ज़ोर व क़ूवत कहाँ
बोल में वह बात बीनाई में वह ताकत कहाँ
है बुढ़ापा भी बहुत कुछ गर ज़वानी हो चुकी
यह बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस दम आ गई
जो गया दुनिया से ऊपर याँ नहीं आने का फिर
चार दिन की ज़िन्दगी कोई नहीं पाने का फिर
है यहाँ रेशम के रखता कीमती सौ पैरहन
पर वहाँ ले जाएगा.याँ से अगर कुछ है कफन
आलमे बरज़ख़ की मंज़िल जान लो यह क़ब्र है
दुख या कि सुख मगर वहाँ ता हश्र है
पर हैं कब्रें दो तरह की दोस्तों यह मानलो
ता सुनो तफ़्सील आगे तो तुम्हें कुछ शक न हो
कब्रे अव्वल तो वही है दफ्न मुर्दा है जहाँ
कुन्टलों मिट्टी के नीचे बस अंधेरा है वहाँ
एक अर्से बाद वाँ हर लाश सड़ गल जाएगी
लाश जब मिट्टी हुई दुख–सुख वह कैसे पाएगी
कब्रे सानी आलमे बरज़ख़ में होगी जान लो
एक जिस्मे ख़ास में वाँ रूह होगी मान लो
हक यह है कब्र में होगा फरिश्तों का सवाल
कौन रब है दीन क्या है अब तू कह अपना मक़ाल
तू बता यह कौन हैं तेरी तरफ भेजे गये
क्या तुझे मालूम है यह किस लिए भेजे गये
रब मेरा अल्लाह है और दीन तो इस्लाम है
यह नबी युल्लाह हैं इन पर मेरा ईमान है
ता कियामत सुख में होगा जिसका होगा यह जवाब
जो मरा ईमान पर बस उसका होगा यह जवाब
कब्रे मोमिन की हैं दोनों कब्रों में इक राबिता
तुम सलाम इस पर करो सुनता है वह बे वास्ता
पर नहीं साबित है वह सुनता है कुछ ग़ैरे अज सलाम
कुछ हैं कहते सुनता है पर है बहुत उस पर कलाम
मुनकिरे दीं यह कहेगा मैं नहीं कुछ जानता
ता कियामत दुख सहेगा वह नहीं हक मानता
खातिमा ईमान पर या रब मेरा बस कीजिए
और अज़ाबे कब्र से मेरी हिफाज़त कीजिए
जब कियामत आएगी और हश्र का दिन आएगा
हर किसी ने जो किया आमाल नामा पाएगा
जन्नती होगा कोई दोज़ख में कोई जाएगा
जन्नती सुख में रहेगा दोज़खी दुख पाएगा
मौत जन्नत में नहीं और न ही वह दोज़ख में है
नेमतें जन्नत में हैं और आग बस दोज़ख में है
जन्नती की ज़िन्दगी रब ने बनाई दाइमी
मुनकिरे दीं के लिए पर है अज़ाबे दाइमी
फ़ज़्ल से अपने तू या रब नारे दोज़ख से बचा
और नबीये पाक पर रहमत तेरी बरसे सदा
और नबी के आल और अस्हाब पर भी रहमतें
वे रुकें न किसी वक़्त या रब हर घड़ी बरसा करें

❖❖❖❖❖

अज़वाजे मुतह्हरात रज़ि0

क्रमांक	नाम अज़वाज	निकाह का सन्	निकाह के वक़्त उम्र	वफात का सन्	मदफन	साथ रहने की मुद्दत	निकाह के वक़्त हुज़ूर सल्ल0 की उम्र	उम्मुल मुमिनीन की उम्र
1	ख़दीज़ा रज़ि0	25 मी0	40 साल	10 न0	मक्का	25 साल	25 साल	65 साल
2	सौदा रज़ि0	10 न0	50 साल	19 ही0	मदीना	14 साल	50 साल	72 साल
3	आइशा सिद्दीक़ा रज़ि0	11 न0	09 साल	57 हि0	"	09 साल	54 साल	63 साल
4	हफ्सा रज़ि0	03 हि0	22 साल	41 हि0	"	08 साल	55 साल	59 साल
5	ज़ैनब रज़ि0	03 हि0	30 साल	03 हि0	"	03 माह	55 साल	30 साल
6	उम्मे सलमा रज़ि0	04 हि0	24 साल	60 हि0	"	07 साल	56 साल	80 साल
7	ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ि0	05 हि0	36 साल	20 हि0	"	06 साल	57 साल	51 साल
8	जुवेरिया रज़ि0	05 हि0	20 साल	56 हि0	"	06 साल	57 साल	71 साल
9	उम्मे हबीबा रज़ि0	06 हि0	36 साल	44 हि0	"	06 साल	57 साल	72 साल
10	सफीया रज़ि0	07 हि0	17 साल	50 हि0	"	04 साल	59 साल	60 साल
11	मैमूना रज़ि0	07 हि0	36 साल	51 हि0	मक्का	3.25 साल	59 साल	80 साल
12	मारिया रज़ि0	——	——	——	——	——	——	——
13	रेहाना	——	——	——	——	——	——	——

नोटः

1. मी0 = नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश।
2. न0 = नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत
3. हि0 = नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिजरत
4. हज़रत मारिया रज़ि0 से हज़रत इब्राहीम रज़ि0 पैदा हुए थे।
5. आइशा सिद्दीक़ा रज़ि0 की रुख़सती शव्वाल 1 हिज्री को हुई।
6. आखिर की दोनों हुज़ूर की बांदियाँ थी, आपने उनको आज़ाद करके अपनी ज़ौजियत में लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

इस बार ज़्यादा चुन कर आए मुसलमान— प्रदेश की 16वीं विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी भी खूब बढ़ चढ़कर बोलेगी। 2007 के पिछले विस चुनाव के मुकाबले इस दफा करीब एक दर्जन मुस्लिम विधायक ज्यादा चुनकर आए हैं। 2007 में गठित पन्द्रहवीं विधानसभा में सपा, बसपा व अन्य दलों के कुल मिलाकर 52 एमएलए थे, जब कि इस बार यह तादाद बढ़ कर 63 हो गई है। निवर्तमान विधानसभा में बसपा के सर्वाधिक 29 मुस्लिम मुस्लिम एमएलए थे मगर इस बार 40 सर्वाधिक मुस्लिम एमएलए के साथ सपा नम्बर वन है।

जाहिर है कि मुसलमानों ने इस बार दिल खोलकर साइकिल वाले खाने के बटन पर अपना भरोसा जताया है। वैसे तो इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस, पीस पार्टी, कौमी एकता दल, रालोद आदि सभी प्रमुख पार्टियों ने बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे।

कामयाबी के दो चितेरे और पुख्ता तैयारी— मुलायम सिंह यादव के अनुभव, अखिदेश यादव की तरुणाई ने समाजवादी पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो वह इससे पहले कभी नहीं पा सकी थी। बीस साल बाद पार्टी के गठन के बाद पहली बार सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है।

सपा के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के दो ही चितेरे हैं। मुलायम ने नींव रखी तो अखिलेश ने इमारत खड़ी की। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद शुरु हुई दोनों की साझा कोशिशें तीन साल के भीतर रंग दिखा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को मिशन 2012 के लिए खड़ा करने और नया कलेवर देने की कोशिशों के तहत मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्हें पता था कि पार्टी का चेहरा बदलने का वक्त आ गया है।

सपा प्रमुख ने दो और फैसले लिए। पहला, लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह से हाथ मिलाने से गए गलत संदेश के लिए बाकायदा बयान जारी कर मुस्लिमों से माफी मांगी। अगला कदम अमर सिंह को पार्टी से निकालने का रहा। यह फैसला तो ऐसा था जिसे सपा के संदर्भ में लगभग असंभव माना जा रहा था। उन फैसलों के बाद पार्टी का चेहरा बदलता दिखा। पार्टी बसपा सरकार के खिलाफ अपने तेवरों को धार देते हुए सड़क पर उतरी। 2007 के बाद भी पार्टी बसपा के खिलाफ मुख्य विपक्ष की हैसियत से सड़कों पर उतर रही थी जिसे 2009 के बाद और बढ़ाया गया। अखिलेश यादव जिलों के दौरों पर निकलने लगे। अयोध्या विवाद पर हाई कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन उससे मुसलमानों को ठगा महसूस करने का बयान जारी कर भी मुलायम सिंह यादव ने इस तबके का खोया भरोसा वापस पाने में काफी हद तक कामयाबी पाई। आजम खां भी पार्टी में वापस लिए गए। उसके बाद एक साल पहले से प्रत्याशी तय करने और छह माह पहले अखिलेश यादव के समाजवादी क्रांति रथ पर निकलने से साफ था कि पार्टी पूरी तैयारी और भरपूर वक्त लेकर चुनाव में उतरना चाहती है। पिछले कार्यकाल की गलतियों से तौबा करना भी नहीं भूले। इन सबका लाभ इस नतीजे से साफ है। ❑❑